म.प्र. शासन, वन विभाग

संयुक्त वन प्रबंधन मार्गदर्शिका

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

दिग्विजय सिंह
मुख्य मंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल--462 004

28, दिसम्बर, 2001

संदेश

मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध विचारधारा के सार्थक परिणाम मिले हैं। राज्य शासन द्वारा संकल्प के प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई **संयुक्त वन प्रबंध मार्गदर्शिका** एक गंभीर प्रयास है। मुझे विश्वास है कि इसके माध्यम से संयुक्त वन प्रबंध को व्यापक आधार मिल सकेगा।

संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन से जुड़े सभी व्यक्तियों को हार्दिक शुभकामनायें।

(दिग्विजय सिंह)

दो शब्द

मध्यप्रदेश में जन भागीदारी से वन प्रबन्धन के लिये संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को अपनाया गया है। इसके तहत वन समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां वनक्षेत्रों के प्रबन्धन के साथ ही ग्राम संसाधन विकास में गहरी रुचि ले रही हैं।

राज्य शासन ने संकल्प के माध्यम से वन समितियों को अधिकार सम्पन्न बनाया है। वनक्षेत्रों में कुशल प्रबन्धन के उपरान्त वनोपज में समितियों को हिस्सेदारी दी गई है। वन समितियों के सुचारु रुप से कार्य क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि समिति के पदाधिकारियों को सभी मूलभूत प्रावधानों का ज्ञान हो। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वन विभाग द्वारा " संयुक्त वन प्रबंधन मार्गदर्शिका" का प्रकाशन किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.डी.शर्मा के मार्गदर्शन में इस मार्गदर्शिका को तैयार करने में विभागीय अधिकारियों ने समय-समय पर अपने सुझाव दिये। इस पुस्तक को वर्तमान स्वरुप देने में वन संरक्षक होशंगाबाद वृत्त श्री एस.पी.दुबे, वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद श्री एस.एस.बजाज, उप वनमंडलाधिकारी होशंगाबाद श्री आलोक पाठक, वन संरक्षक (समन्वय) श्री बी.एल.सरण, उप वन संरक्षक श्री सी.एस.मिश्रा, उप वन संरक्षक डा. आर.के.सिंह, उप वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री आर.श्रीनिवास मूर्ति एवं सहायक वन संरक्षक श्री संजय मोहरीर का सक्रिय योगदान रहा है। इस मार्गदर्शिका का टंकण कार्य श्री पी.पी.सोनी तथा श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शीघ्रलेखक द्वारा किया गया। उनका अथक परिश्रम व योगदान सराहनीय रहा है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन वन समितियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

(ए.पी.दुबे)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(संयुक्त वन प्रबन्धन) म.प्र.भोपाल

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

—0—

कमांक एफ–16/4/91/10–2, भोपाल,दिनांक 1 मार्च,2001.

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश,
भोपाल ।

विषयः–संयुक्त वन प्रबंधन मार्गदर्शिका ।

संदर्भः–आप की अशासकीय टीप कमांक 1468, दिनांक 23/12/2000.

—0—

उपरोक्त संदर्भित अशासकीय टीप व्दारा प्रेषित संयुक्त वन प्रबंधन मार्गदर्शिका का अनुमोदन किया जाता है ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,वन विभाग.

पृ0कमांक एफ–16/4/91/10–2, भोपाल,दिनांक मार्च,2001

प्रतिलिपिः–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकक,संयुक्त वन प्रबंध ग्रामीण संसाधन विकास एवं समन्वय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव,वन,

विषय सूची

अ.क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	वनक्षेत्रों का वर्गीकरण एवं समितियों के प्रकार	3–5
3.	वन समितियों हेतु वन क्षेत्र का चयन	6–7
4.	समिति के गठन की प्रक्रिया	8–10
5.	समिति की कार्यकारिणी का गठन	11–18
6.	समिति के कर्तव्य एवं अधिकार	19–25
7.	समितियों की बैठकें, गणपूर्ति एवं निर्धारित कर्तव्य	26–32
8.	वनाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार	33–37
9.	समिति के कार्यों पर नियंत्रण	38–42
10.	वन सुरक्षा में संलग्न समिति सदस्यों को अतिरिक्त लाभ एवं वैधानिक अधिकार	43–44
11.	सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना	45–48
12.	समिति का लेखा संधारण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	49–57
	समिति सम्बंधी कार्यो के लिए प्रपत्र	1–49
	प्रपत्र 2.1 समिति के कार्य क्षेत्र का विवरण	1
	प्रपत्र 2.2 वन सुरक्षा /ग्राम वन / ईको विकास समिति के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र	2
	प्रपत्र 4.1 संयुक्त वन प्रबंधन से परिचय कराने हेतु आयोजित प्रथम बैठक का प्रारुप	3
	प्रपत्र 4.2 समिति गठन हेतु आम सहमति के पश्चात ग्रामीणों के द्वारा दिये जाने वाले आवेदन का प्रारुप	4
	प्रपत्र 4.3 समिति के पंजीयन की कार्यवाही करने के संबंध में	6
	प्रपत्र 4.4 वन सुरक्षा / ग्राम वन / ईको विकास समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र	8

प्रपत्र 4.5 पारस्परिक सहमति का ज्ञापन	9–23
प्रपत्र 5.1 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष चयन प्रमाण पत्र	24
प्रपत्र 5.2 वन सुरक्षा/ ग्राम वन / ईको विकास समिति एवं उसके कार्यकारिणी के गठन का विवरण	25
प्रपत्र 7.1 आम सभा / कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही का विवरण ।	29
प्रपत्र 9.1 समिति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र	30
प्रपत्र 9.2 समिति का सफलता/असफलता का प्रपत्र	31
प्रपत्र 9.3 समिति की सफलता/असफलता का वार्षिक प्रमाण पत्र	32
प्रपत्र 9.5 समिति का मूल्यांकन प्रमाण पत्र	33
लेखा प्रपत्र 12.1 कैश बुक रोकड़ पुस्तिका	34
प्रपत्र 12.2 लेजर	35
लेखा प्रपत्र 12.3 ऋण पुस्तिका लेजर	36
लेखा प्रपत्र 12.4 मनी रसीद बुक का प्रारुप	37
लेखा प्रपत्र 12.5 प्रमाणक	38
प्रपत्र 12.6 ऋण हेतु आवेदन / स्वीकृति का प्रारुप	39
लेखा प्रपत्र 12.7 हितग्राही करारनामा	40
लेखा प्रपत्र 12.8 वसूली सूचना	41
लेखा प्रपत्र 12.9 मासिक प्रगति प्रतिवेदन	42
लेखा प्रपत्र 12.10 समिति का वार्षिक आय व्यय पत्रक	43
लेखा प्रपत्र 12.11 समिति एवं वन विभाग के मध्य लिखित संविदा	44
लेखा प्रपत्र 12.12 समिति संस्था एवं वन विभाग के मध्य कार्य करवाने हेतु संविदा ।	46
परिशिष्ट –1 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा ली जाने वाली शपथ ।	48
परिशिष्ट –2 समिति के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ ।	49

1. प्रस्तावना

वनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सभी अपने जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक वनों के ऊपर किसी न किसी कारण से निर्भर रहते हैं। वनों से हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैसे- जलाऊ लकड़ी, बांस, इमारती बल्ली, मवेशियों हेतु चारा इत्यादि । वनों के होने के कारण ही पर्याप्त वर्षा होती है, तथा उपजाऊ मिट्टी का कटाव नहीं होता है जिससे हम अपने खेतों से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। जंगल हमें प्राण वायु देते हैं। अधिकांश धर्मों में यह मान्यता है कि जंगलों में देवी देवता रहते हैं । जंगलों के बगैर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी हमारे पास जंगल हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम जंगलों का विकास कर इसे और बेहतर स्थिति में अपने भावी पीढ़ी को सौंपें। जंगल हम सभी का है इसलिये हम सब को इसे बचाने का प्रयास करना होगा । सरकार व्दारा जंगलों के सुरक्षा एवं विकास के लिये वन विभाग का गठन किया गया है परन्तु जंगलों का विकास बगैर सभी के सामुहिक प्रयासों के संभव नहीं है । इन प्रयासों में भी स्थानीय जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

१.० संयुक्त वन प्रबन्ध क्या है?

संयुक्त वन प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय ग्रामीण एवं वन विभाग व्दारा मिलजुल कर गांव से लगे जंगल की सुरक्षा एवं विकास किया जाता है । गांव वालों से मिल जुल कर काम करने के लिये वन समितियों का गठन किया जाता है । वन समितियॉं तथा वन विभाग व्दारा वनों तथा ग्राम के विकास के लिये एक सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाई जाती है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा व विकास के साथ-साथ वनों के नियंत्रित उपयोग के व्दारा स्थानीय ग्रामीणों की वनों पर आधारित आवश्यकताओं, जैसे- इमारती लकड़ी, लघु वनोपज, जलाऊ लकड़ी, पत्ता, घांस एवं चारा आदि की पूर्ति करना है। इसके अलावा कृषि तथा वनोत्पाद में वृध्दि तथा उसके प्रसंस्करण के प्रयासों से गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे अपनी आजीविका के लिये लोग वनों में कटाई व अतिक्रमण नहीं करें। साथ ही ग्रामों में अन्य मूलभूत आवश्यकतायें उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाता है । संक्षेप में ऐसे ग्राम विकास के प्रयास किये जाते हैं जिससे वनों पर दबाव कम हो।

१.१ संयुक्त वन प्रबन्ध क्यों :

स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति १९५२ में लागू की गई । इस नीति के अनुसार वनों का प्रबन्ध मुख्य रुप से देश के औद्योगिक विकास एवं लकड़ी के उत्पादन के लिये किया जाता रहा । वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के योजनाबद्ध प्रयास नहीं किये गये । लोगों तथा पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण वनों पर जलाऊ लकड़ी तथा चारे की आवश्यकता भी बढ़ती गई । वनों पर बढ़ते हुए दबाव एवं वन प्रबंधन में जन-भागीदारी न होने के कारण वनों के अनियंत्रित उपयोग को नहीं रोका जा सका जिससे वन बिगड़ते चले गये । इससे यह महसूस होने लगा कि वन प्रबंधन में सक्रिय जन-भागीदारी के बिना वनों की सुरक्षा एवं विकास वर्तमान परिस्थितियों में कर पाना सम्भव नहीं है। इस नई सोच के फलस्वरुप राष्ट्रीय वन नीति १९५२ में मूलभूत परिवर्तन करते हुए वर्ष १९८८ में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई ।

१.२ राष्ट्रीय वन नीति १९८८ में बताया गया है कि वनों की सुरक्षा एवं विकास में स्थानीय जनता का सहयोग एवं जन भागीदारी सुनिश्चित की जावे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में जन भागीदारी पर आधारित संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिये मध्य प्रदेश शासन व्दारा वर्ष १९९१ में संकल्प जारी किया गया। जिसमें प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का प्रावधान था । इस प्रावधान के कारण आम तौर पर केवल पुरुष ही समिति के सदस्य बन पाते थे। इसके तहत बिगड़े वनक्षेत्रों में "ग्राम वन समितियां" तथा वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सघन वनक्षेत्रों में" वन सुरक्षा समितियां" गठित करने का निर्णय लिया गया। केवल सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील सघन क्षेत्रों में समिति बनाने के प्रावधान से ऐसे सघन वन क्षेत्र जो संवेदनशील की श्रेणी में नहीं आते थे वहाँ के गांव वालों की इच्छा के बावजूद भी समिति नहीं बनाई जा सकती थी ।

वर्ष १९९५ में शासन व्दारा संयुक्त वन प्रबंधन के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के उपरान्त संकल्प को पुनरीक्षित किया गया । पुनरीक्षित संकल्प में प्रत्येक परिवार से एक महिला एवं एक पुरुष को वन समितियों में सदस्य बनाने का प्रावधान रखा गया। साथ ही अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर सभी वन क्षेत्रों में समिति बनाने का प्रावधान रखा गया। पुनः फरवरी 2000 में संकल्प को संशोधित किया गया जिसकी व्याख्या इस मार्गदर्शिका में की गयी है।

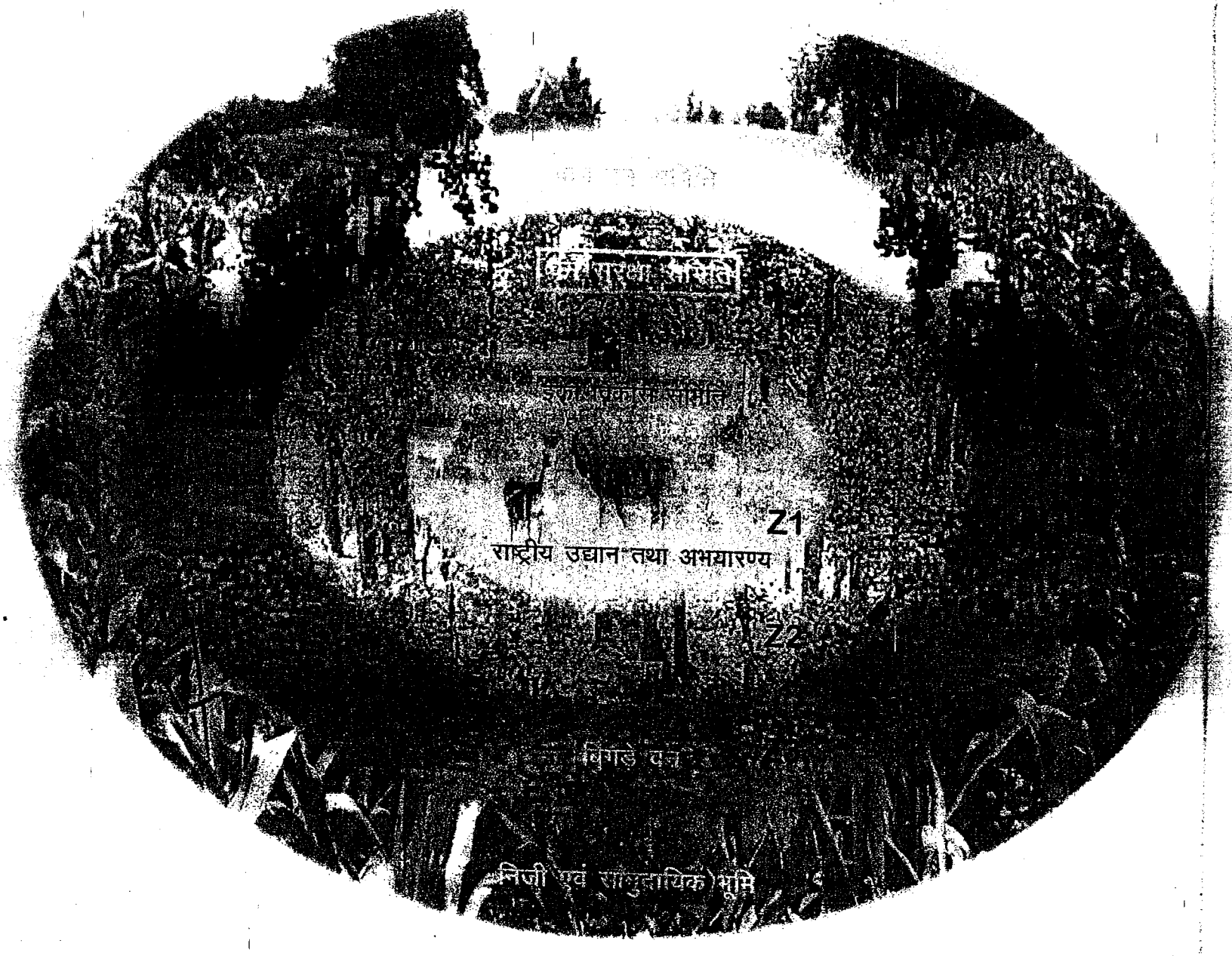

वन क्षेत्रों का वर्गीकरण

2. वन क्षेत्रो का वर्गीकरण एवं वन समितियों का प्रकार

२.१ वन क्षेत्रों का वर्गीकरण

मध्य प्रदेश के जंगलों को प्रबंध के लिये ३ तीन हिस्सों (जोन) में बांटा गया है ।

२.१.१ प्रथम जोन (Z1) :

वन्य प्राणी प्रबन्धन हेतु घोषित राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में सम्मलित वन क्षेत्र, जो जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्पूर्ण है।

२.१.२ द्वितीय जोन (Z2) :

प्रथम जोन में बताये गये संरक्षित वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सघन वन क्षेत्र, जिनका घनत्व 0.४ से अधिक है।

२.१.३ तृतीय जोन (Z3) :

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के क्षेत्रों को छोड़कर, ऐसे बिगड़े वन क्षेत्र, जिनका घनत्व 0.४ से कम है।

२.२ वन समितियों का प्रकार :

उपरोक्त समस्त प्रकार के वन क्षेत्रों में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्न तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों गठित की जावेगी :

२.२.१ ईको विकास समिति

ये समितियां निम्न प्रकार के ग्रामों में गठित की जायेंगी:

२.२.१.१ राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं बफर क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम ।

२.२.१.२ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की बाहरी सीमा से ५ किलोमीटर की परिधि के अन्दर, जहां बफर क्षेत्र चिन्हांकित नहीं है, स्थित समस्त ग्राम।

२.२.१.३ कंडिका २.२.१.२ में गठित की जाने वाली ईको विकास समितियों की पहचान एवं गठन की कार्यवाही संरक्षित क्षेत्र के संचालक/उपसंचालक/ वनमण्डलाधिकारी वन्य प्राणी एवं क्षेत्रीय वनमंडल अधिकारी की आपसी सहमति द्वारा की जावेगी।

ऐसे ग्राम, जहां इको विकास समिति का गठन होना है, वनमण्डलाधिकारी सामान्य पहचान कर ग्रामों की सूची संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी एवं गेम रेंजर को उपलब्ध करायेंगें ताकि आपस में किसी प्रकार का विवाद न हो ।

२.२.१.४ जो वन समितियां संरक्षित क्षेत्रों में पूर्व से ही गठित है, उन्हें भी ईको विकास समितियों के रुप में पंजीकृत किया जायेगा ।

२.२.२ वन सुरक्षा समिति - इन समितियों का गठन सघन वनक्षेत्रों (0.४ घनत्व के ऊपर) में वनखण्ड सीमा की ५ किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में किया जायेगा । इसमें ईको विकास समिति की पात्रता रखने वाले ग्रामों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

२.२.३ ग्राम वन समिति - इन समितियों का गठन बिगड़े वन क्षेत्रों (0.४ घनत्व के नीचे) में वनखण्ड सीमा से ५ कि.मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में किया जायेगा। इसमें ईको विकास एवं वन सुरक्षा समितियों वाले ग्रामों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

वनों के वर्गीकरण की प्रकिया -

उक्त तीनों क्षेत्रों में से जिस क्षेत्र में भी ग्राम स्थित है, उस क्षेत्र के लिये निर्धारित समिति का गठन किया जायेगा। यदि ग्राम के साथ सघन एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र हैं, तो जिस प्रकार के जंगल ज्यादा होंगें, उसी तरह की समितियां गठित की जायेंगीं । किसी ग्राम में एक से अधिक समितियों का गठन नहीं किया जावेगा ।

यदि किसी वनखंड/वनकक्ष के समीप एक से अधिक ग्राम स्थित हों तथा ऐसे ग्रामों के ग्रामीण निस्तार हेतु उसी वनखंड/वनकक्ष पर आश्रित हों तो ऐसे ग्रामों के समूह की वन समिति बनाई जा सकेगी । इस हेतु वह वनखंड/वनकक्ष उस समिति के कार्यक्षेत्र में आयेगा ।

वनमण्डल की प्रचलित कार्य आयोजना में दर्शाये विवरण अनुसार वनमण्डल के समस्त प्रकोष्ठों (कम्पार्टमेंट) को सघन एवं विरल की श्रेणी में वर्गीकृत कर किया जायेगा । इसकी सूची परिक्षेत्रवार अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को वन मण्डल कार्यालय उपलब्ध करायेगा। उक्त जानकारी से प्रारम्भिक अवस्था में वनरक्षक स्तर पर समितियों के प्रकार को लेकर किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। परिक्षेत्र सहायक वनमंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा कार्य

आयोजना के अनुसार वनकक्षों के घनत्व के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूची से वन कक्षों का निरीक्षण कर स्थल से मिलान करेगा तथा ग्रामीणों के साथ भ्रमण कर समिति के प्रकार का निर्धारण करेगा एवं समिति गठन हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र २.१ में प्रतिवेदन वन परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से उपवनमंडलाधिकारी को भेजेगा। ग्रामवासियों की संयुक्त वन प्रबंधन हेतु समिति गठित करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर परिक्षेत्राधिकारी प्रपत्र २.२ में वनमण्डलाधिकारी को समिति गठित करने हेतु अनुरोध करेंगें। वनमंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्राधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी द्वारा प्रेषित समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव (प्रपत्र - २.२) के आधार पर समिति के प्रकार का निर्धारण कर समिति का पंजीयन करेंगे।

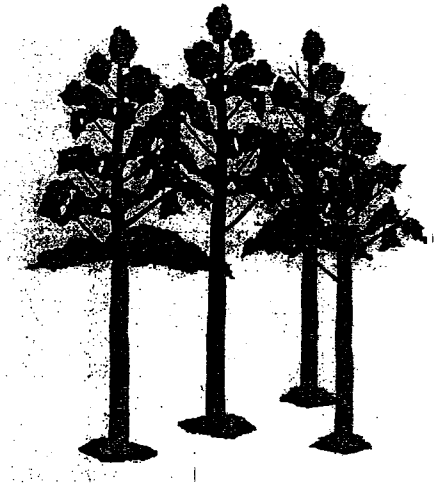

3. वन समितियों हेतु वनक्षेत्र का चयन

वन समितियों के माध्यम से वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु वनक्षेत्र का चयन निम्नानुसार किया जायेगा :-

३.१ क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अमले से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न प्रकार की समितियों हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जायेगा । समितियों के वनक्षेत्र के चयन हेतु वनमण्डलाधिकारी, वनक्षेत्रपाल अथवा उप वनमण्डलाधिकारी को प्राधिकृत कर सकते है। समिति हेतु वनक्षेत्र के चयन में :

- संबंधित ग्राम से उस वनक्षेत्र की दूरी
- ग्रामीणों द्वारा निस्तार हेतु पारम्परिक रुप से उपयोग में लिये जा रहे वनक्षेत्र

उक्त क्षेत्र की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता पर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्र का चयन किया जायेगा।

सामान्यतः समिति को वनक्षेत्र का सम्पूर्ण कक्ष आवंटित किया जायेगा। यदि पूर्ण कक्ष आवंटित करना सम्भव न हो तो कक्ष के ऐसे वनक्षेत्र, जिनकी प्राकृतिक सीमायें स्पष्ट हैं, समिति को आवंटित किया जायेगा । यदि उक्त दोनों विकल्प सम्भव न हों, तो समिति को आवंटित क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन सीमा पर उपलब्ध वृक्षों की छाती गोलाई पर डामर का काला पट्टा लगाकर किया जायेगा । काला पट्टा लगाने वाले वृक्षों की दूरी इस प्रकार निर्धारित की जावे कि सीमा स्पष्ट दिखे, जिससे दोनों समितियों में किसी प्रकार का विवाद न हो ।

समिति हेतु आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र का चिह्नांकन समिति एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ जाकर किया जायेगा, जिससे समिति के सदस्यों को उनको आवंटित क्षेत्र की जानकारी रह सके ।

३.२ विभिन्न ग्रामों का एक ही वनक्षेत्र पर पड़ने वाले निस्तारी दबाव की स्थिति में ग्रामीणों की आपसी सहमति को दृष्टिगत रखते हुए समिति को आवंटित किये जानेवाले वन क्षेत्र का निर्णय लिया जायेगा।

3.3 उक्त वनक्षेत्र एवं ग्राम में सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से वन संरक्षण एवं ग्राम विकास संबंधी कार्य कराये जायेंगे । सूक्ष्म प्रबंधन योजना में इस प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करने हेतु सहायक वन संरक्षक स्तर का अधिकारी प्राधिकृत होगा, जो अधीनस्थ अमले एवं समिति के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना को अंतिम रुप देगा ।

3.४ संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य) के अंदर गठित ईको विकास समितियों हेतु क्षेत्र चयन नहीं किया जावेगा ।

3.५ संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य) की सीमा से ५ कि.मी. की परिधि के अंदर के ग्राम, जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है, के लिये संरक्षित क्षेत्र से बाहर का वनक्षेत्र प्रबंधन हेतु ईको विकास समिति को दिया जायेगा । समिति हेतु ऐसे क्षेत्र का चयन क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी द्वारा संबंधित वनमंडलाधिकारी, (वन्य प्राणी) अथवा संचालक/उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान की अनुशंसा एवं सहमति से किया जावेगा। समिति का संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा में प्रभावी योगदान मिलने की स्थिति में ही ईको विकास समिति को उसके कार्यक्षेत्र के वनक्षेत्रों से मिलने वाले लाभों की पात्रता होगी ।

4. समितियों के गठन की प्रक्रिया :

ग्रामों में वन समितियां निम्न प्रक्रिया अनुसार गठित की जायेंगी :

४.१ वन समिति के गठन हेतु पात्र ग्रामों अर्थात् ऐसे ग्राम, जो वनक्षेत्र की सीमा से ५ कि.मी. की परिधि में है, से संबंधित परिसर रक्षाकों को वनमंडलाधिकारी कार्यालय द्वारा उसके परिसर में आने वाले ग्रामों की निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराई जायेगी।

४.२ समिति गठित करने हेतु पात्र ग्रामों में वनपाल से अनिम्न स्तर के वनाधिकारी द्वारा समय-समय पर ग्रामीणों को संयुक्त वन प्रबन्धन से परिचित कराने हेतु बैठकें आयोजित की जायेंगीं। वनाधिकारी व्दारा ग्रामों में बैठक आयोजित करने की प्रगति से परिक्षेत्र अधिकारी को प्रपत्र -४.१ में जानकारी प्रस्तुत की जायेगी। बैठक का समय, जगह तथा दिन का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि ग्राम के अधिक से अधिक ग्रामवासी बैठक में उपस्थित हो सकें । यह बैठकें आवश्यक होने पर विभिन्न स्थलों पर की जावें, ताकि इस योजना के संबंध में ग्राम के अधिकतम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके ।

४.३ वन अधिकारी द्वारा ग्राम में आयोजित बैठक के उपरांत यदि ग्रामीण स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबन्धन से जुड़ना चाहें तो ग्रामवासी एक आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र-४.२ में संयुक्त हस्ताक्षर कर दो प्रतियों में, परिक्षेत्राधिकारी को देंगे। परिक्षेत्राधिकारी आवेदन पत्र की द्वितीय प्रति पर संबंधित ग्राम में समिति के गठन के संबंध में आयोजित होने वाली बैठक की तिथि, स्थान एवं समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के परामर्श से निर्धारित कर, अंकित करेंगे, तथा आवेदन देने आये ग्रामीणों को भी बतायेंगे। उक्त तिथि को वनपाल या ऊपर के स्तर के वनाधिकारी की उपस्थिति में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से ग्राम में संयुक्त वन प्रबन्धन समिति के गठन हेतु औपचारिक बैठक आयोजित की जायेगी ।

४.४ इस बैठक में ग्राम के मताधिकार रखने वाले व्यक्तियों में से यदि ५० प्रतिशत या उससे अधिक व्यक्ति उपस्थित होकर आम सहमति से ग्राम के आसपास के वनों की सुरक्षा करने एवं वन प्रबंधन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते है, तो कंडिका-२.२ में दर्शाये अनुसार जिस क्षेत्र में भी (सघन, बिगड़े एवं संरक्षित वन) ग्राम स्थित है, उस क्षेत्र के लिये निर्धारित समिति का गठन किया जायेगा । यदि ग्राम के समीप सघन, एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र है, तो जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य होगा, उसी अनुरुप वन सुरक्षा समिति अथवा ग्राम वन समिति गठित की जायेंगी ।

वन समिति गठन के संबंध में चर्चा करते ग्रामीण

४.५ ग्राम की बैठक में वन समितियां गठित होने संबंधी ग्रामवासियों के सामूहिक निर्णय के उपरांत बैठक में उपस्थित रहने वाले वनाधिकारी सम्बन्धित परिक्षेत्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र-४.३ में ग्राम में आम सहमति के बारे में प्रतिवेदन देंगे तथा ग्राम के पास के वनक्षेत्रों का विवरण प्रपत्र-२.१ में देगे, जिसका संरक्षण एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा सकता है। संबंधित परिक्षेत्राधिकारी वनाधिकारी से समिति के गठन व समिति के ग्राम से लगे वनक्षेत्रों की जानकारी पर संतुष्टि उपरांत निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-२.२) में प्रतिवेदन सम्बन्धित वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय / वन्य प्राणी, संचालक / उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान को ७ दिवस के अन्दर संबंधित ग्राम में समिति गठित करने संबंधी पत्र अनुशंसा सहित उपवनमंडलाधिकारी के

माध्यम से प्रस्तुत करेगा, तथा प्रतिवेदन के साथ में वनाधिकारी द्वारा ग्राम में आयोजित बैठक में समिति के गठन के विषय में लिये गये निर्णय से संबंधित प्रपत्र एवं समिति के कार्यक्षेत्र एवं वनक्षेत्र का विवरण दर्शाने वाला प्रपत्र भी संलग्न करेगा। उपवनमंडलाधिकारी आवश्यक जॉच कर अपना प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा सहित वनमण्डलाधिकारी को भेजेंगें । वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/वन्य प्राणी, संचालक / उप संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा उपवमंडलाधिकारी के समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त १५ दिवस के अन्दर समिति को पंजीकृत किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र -४.४ में प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा । उक्त प्रमाण-पत्र वनक्षेत्रपाल से अनिम्न वनाधिकारी द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के चुनाव के पश्चात् ग्राम की बैठक आयोजित कर अध्यक्ष को प्रदाय किया जायेगा। उक्त प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि वनसंरक्षक, जिलाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित उपवनमंडलाधिकारी, थाना प्रभारी तथा परिक्षेत्र अधिकारी को पृष्ठांकित करेंगे। समिति एवं वन विभाग के मध्य समिति को आवंटित क्षेत्र की सुरक्षा एवं कराये जाने वाले कार्य बाबत पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया जायेगा । (प्रपत्र -४.७)

5. समिति की कार्यकारिणी का गठन

५. समिति की कार्यकारिणी का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:

५.१ समितियों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का चुनाव :

५.१.१ वनमण्डलाधिकारी द्वारा समिति के गठन का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरांत ग्राम पंचायत के सरपंच की सहमति प्राप्त कर ग्राम में समिति की आमसभा की प्रथम बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जावेगा कि बैठक में समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है । इसके लिये गांव में वनरक्षक द्वारा मुनादी कराकर तथा सार्वजनिक स्थलों पर बैठक की तिथि, समय एवं स्थान संबंधी सूचनापत्र चस्पा कराये जायेंगे। अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के चुनाव हेतु आयोजित प्रथम बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जायेगी, जिसमें वन विभाग के वनक्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी के वनाधिकारी चुनाव अधिकारी के रुप में उपस्थित रहेंगे । बैठक में समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा । अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में से किसी एक पद पर महिला का होना अनिवार्य है ।

५.१.२ आमसभा में चुनाव अधिकारी द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन यथासंभव सर्वसम्मति से कराया जावेगा, ताकि ग्राम में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित न हो।

५.१.३ यदि चयन, सर्वसम्मति से किया जाना सम्भव न हो तो, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हेतु प्रत्याशियों के पक्ष में समिति के सदस्यों के हाथ खड़े करके चुनाव कराया जावेगा, तथा बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

५.१.४ चुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के परिणाम की घोषणा आमसभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा तदाशय का प्रमाणपत्र आमसभा के अध्यक्ष एवं वन विभाग के उपस्थित वनक्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी के वनाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा, जो निर्धारित प्रपत्र-५.१ के अनुसार होगा ।

५.१.५ एक समान मत प्राप्त होने पर चुनाव अधिकारी द्वारा लॉटरी से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा ।

५.१.६ निर्वाचित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष रहेगा ।

५.१.७ चयनित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को वनक्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल पर सादे समारोह में शपथ दिलायी जावेगी ।

५.२. समिति के कार्यकारिणी का गठन :

५.२.१ वन समितियों का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करते समय वनमंडलाधिकारी समिति से सदस्यों की संख्या/वर्ग के आधार पर कार्यकारणी में विभिन्न वर्गों से मनोनीत होने वाले सदस्यों का विवरण समिति के सचिव को उपलब्ध करायेगें । वनमंडलाधिकारी कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले विभिन्न वर्गों के सदस्यों की गणना परिक्षेत्राधिकारी के माध्यम से ग्राम की जानकारी (प्रपत्र-४.३) के आधार पर करेंगे ।

५.२.२ कार्यकारिणी के गठन हेतु समिति के निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें समिति के सदस्यों में से (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम ११ तथा अधिकतम २१ सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की जायेगी । कार्यकारिणी का गठन वनमंडलाधिकारी द्वारा दिये विवरण अनुसार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है:

५.२.२.१ समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के भी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे ।

५.२.२.२ कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल भी दो वर्ष का होगा ।

५.२.२.३ कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिला कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्राम सभा में यथा सम्भव उनकी संख्या के अनुपात में रहेगा ।

५.२.२.४ कार्यकारिणी में न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सदस्य होंगीं, जिसमें प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ।

५.२.२.५ ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हों, की एक-एक प्रतिनिधि का मनोनयन

कार्यकारिणी के सदस्य के रुप में किया जाना अनिवार्य होगा ।

५.२.२.६ कार्यकारिणी में भूमिहीन परिवार, यदि उपलब्ध है तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरुष, एक महिला) का मनोनयन किया जायेगा ।

५.२.२.७ ग्राम में कार्यरत स्वसहायता समूह, यदि कोई हो तो, के एक प्रतिनिधि का चयन किया जाना अनिवार्य होगा ।।

५.२.२.८ ग्राम में रहने वाले सभी पंच एवं सरपंच कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे ।

५.२.२.९ ग्राम में यदि राजीव गांधी मिशन की जलग्रहण समिति का गठन है, तो इस समिति के विभिन्न हितग्राही समूहों में से एक-एक हितग्राही कार्यकारिणी का सदस्य होगा।

५.२.२.१० कार्यकारिणी के शेष सदस्यों हेतु ग्राम में उपलब्ध ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों, जैसे- बसोड़, बढ़ई एवं कुम्हार आदि, यदि कोई हों तो, के एक-एक प्रतिनिधि का मनोनयन किया जायेगा ।

५.२.२.११ सम्बन्धित वनक्षेत्र के प्रभारी वनरक्षक को यथासंभव कार्यकारिणी पदेन सचिव बनाया जायेगा। यदि प्रभारी वनरक्षक को किसी कारणवश सचिव नहीं बनाया गया है, तभी वनपाल को समिति का सचिव बनाया जायेगा ।

५.२.२.१२ ग्राम में वनसमिति की कार्यकारणी के गठन के उपरांत क्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी निर्धारित प्रपत्र-५.२ में कार्यकारणी के पदाधिकारियों का विवरण एवं समिति की अन्य जानकारी के संबंध में एक प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी एवं सम्बंधित समिति के अध्यक्ष को भेजेगें ।

५.३ समिति/कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की अपात्रता :

कोई भी व्यक्ति समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य पद के लिये अपात्र होगा, यदि वह :

५.३.१ दिवालिया हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया हो ।

५.३.२ पागल हो गया हो ।

५.३.३ किसी नैतिक पतन एवं वन अपराध वाले अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

५.३.४ यदि वह केन्द्र/राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय संस्था या सहकारी सोसायटी की सेवा से हटाया गया हो ।

५.३.५ यदि किसी अनियमितता के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा वन समिति की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया हो ।

५.३.६ ऐसे व्यक्ति को दण्ड की तिथि से आगामी ६ वर्ष की समयावधि तक वन समिति का कोई भी पद धारण करने की पात्रता नहीं होगी ।

५.३.७ वह पूर्व गठित समिति के ऋण का डिफाल्टर न हो ।

५.३.८ किसी भी अन्य संस्था का निर्वाचित सदस्य अथवा शासन के लाभप्रद पद पर कार्यरत व्यक्ति अथवा शासन से सहायता प्राप्त संस्था का कोई पदाधिकारी, समिति का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नही बन सकेगा

५.४ समिति अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव :

५.४.१ यदि समिति के सदस्यों में से १० प्रतिशत सदस्य, जिसका विवरण कंडिका ५.४.२ में दर्शाया गया है, समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कारण सहित हटाने का संयुक्त आवेदन पत्र वनक्षेत्रपाल को देते है, तो ऐसे आवेदन प्राप्ति के ७ दिवस के अन्दर वनक्षेत्रपाल आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय उपवनमण्डलाधिकारी को अग्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय उपवनमण्डल अधिकारी आवश्यक संतुष्टि के बाद स्वयं अथवा किसी अन्य अधिकारी को, जो वनक्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का न हो, को नियुक्त करेंगे, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने बाबत समिति की आमसभा की विशेष बैठक बुलायेगा ।

५.४.२ समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव हेतु समिति के सदस्यों में से कम से कम १/१० सदस्यों की सहमति एवं समिति की आमसभा की प्रस्तावित बैठक के १५ दिवस की अवधि के पूर्व सूचना प्राप्त होना आवश्यक है । यदि निकट भविष्य में आमसभा की बैठक प्रस्तावित

न हो, तो अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर १७ दिवस के अन्दर आमसभा की बैठक आयोजित कर, प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी ।

७.४.३ अविश्वास प्रस्ताव हेतु बुलाई गई आमसभा की बैठक की अध्यक्षता ऐसा कोई अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष नहीं करेगा, जिसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जानी हो । ऐसी बैठक की अध्यक्षता सरकार के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा की जावेगी, जो उस क्षेत्र के परिक्षेत्राधिकारी से अनिम्न न हो तथा जिसे वनमंडलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

७.४.४ सामान्यतः संबंधित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित है, को उस बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा ।

७.४.५ बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या जो तीन-चौथाई से कम न हो,ऐसे बहुमत से एवं जो तत्समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी के चुनाव करने वालों की कुल संख्या के आधे से अधिक है, द्वारा पारित संकल्प से अविश्वास का प्रस्ताव समिति की आमसभा द्वारा पारित किया जा सकेगा।वह अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी जिसके विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नही रह जायेगा ·

७.४.६ किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव -

- उस तारीख से, जिसको वह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करता है, छः माह की कालावधि के भीतर,
- उस तारीख से, जिसको यथास्थिति अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती तीन माह की कालावधि के भीतर,
- उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, छः माह की कालावधि के भीतर नहीं लाया जायेगा ।

७.४.७ यदि संबंधित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा अन्य पदाधिकारी उपरोक्तानुसार पारित किये गये प्रस्ताव की विधि-मान्यता को चुनौती देने की इच्छा रखता है, तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव

पारित किया गया है, १५ दिवस के अन्दर संबंधित वनमण्डलाधिकारी को विवाद निर्दिष्ट करेगा, जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चित् करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

७.४.८ अपील की निराकरण की अवधि में अपदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेगा।

७.७ समिति के पदाधिकारियों को हटाया जाना

समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध समिति के कर्तव्य सम्पादन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्षेत्र के उपवनमंडलाधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह उचित समझे, समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य को, किसी भी समय हटा सकेगा।

७.७.१ संयुक्त वन प्रबंध संबंधी शासन संकल्प में दर्शाये अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन की घोर उपेक्षा।

७.७.२ यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है।

७.७.३ समिति के किसी पदाधिकारी द्वारा समिति में अपने किसी नातेदार को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिये कोई कार्यवाही करना। इस प्रयोजन के लिये नातेदार का आशय, पिता, माता, भाई, बहन, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री ,सास, ससुर, साला, बहनोई, देवर साली, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, दामाद, पुत्रवधु आदि से है।

७.७.४ परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नही हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे पद से क्यों न हटा दिया जावे।

७.७.५ उप वनमंडलाधिकारी द्वारा जांच में अंतिम आदेश यथासंभव, सम्बंधित पदाधिकारी को कारण बताओ सूचना जारी होने की तारीख से ९० दिन के भीतर पारित कर दिया जायेगा।

७.७.६ इस प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जावेगा, जिस में निर्णय लेने के पूर्व लगाये आरोप, साक्ष्य, खण्डनसाक्ष्य तथा अन्य अभ्यावेदनों पर विचार किया जावेगा। पदाधिकारी को हटाये जाने संबंधी आदेश स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें आदेश पारित करने का स्पष्ट आधार दर्शाया जाना चाहिये । साथ ही वे कारण भी दर्शाये जायें, जिनके आधार पर आरोपी का स्पष्टीकरण अमान्य किया गया है ।

५.७.७ कोई व्यक्ति, जिसे उपरोक्तानुसार हटा दिया गया है, छः वर्ष की समयावधि के लिये वन समिति की कार्यकारणी के किसी भी पद के लिये अयोग्य हो जावेगा।

५.७.८ उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश के विरुद्ध संबंधित पदाधिकारी वन मण्डलाधिकारी को ३० दिन के भीतर अपील कर सकेगा एवं वनमंडलाधिकारी अपील प्राप्त होने के ६० दिन के भीतर अपील पर अपना निर्णय देंगे, जो अन्तिम होगा ।

५.६ कार्यकारणी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देना:

यदि कार्यकारणी का उपाध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य स्वेच्छा से पदमुक्त होना चाहता है तो वह इस आशय का त्यागपत्र समिति के अध्यक्ष को देगा । यदि समिति का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, तो इस आशय का त्यागपत्र संबंधित उपवनमंडलाधिकारी को देगा। उपवनमंडलाधिकारी विचारोपरांत पदाधिकारी द्वारा दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार / अस्वीकार कर सकेगा । त्यागपत्र स्वीकृत होने के स्थिति में कंडिका ५.१ एवं ५.२ के अनुसार समिति के नये पदाधिकारियों के चयन/मनोनयन की कार्यवाही की जावेगी।

५.७ कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने एवं रिक्तता पूर्ति की प्रणाली :

५.७.१ कंडिका ५.३.१से ५.३.४ के प्रावधानों के अनुरुप समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञान में आने की तारीख से एक माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् उपवनमंडलाधिकारी उसे पद धारण करने के अयोग्य घोषित कर सकेगा ।

५.७.२ समिति के निष्कासित अथवा हटाये पदाधिकारी अथवा आकस्मिक मृत्यु से रिक्त पद की पूर्ति यथास्थिति सहयोजन/निर्वाचन द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु विशेष रुप से आहूत बैठक की अध्यक्षता वनक्षेत्रपाल की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जायेगी । इसके लिये समिति ठहराव करके वनमंडलाधिकारी से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु निवेदन करेगी, जिस पर क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी एक निर्वाचन अधिकारी, जो वनक्षेत्रपाल से अनिम्न श्रेणी का न हो, को नियुक्त करेंगे, जो प्रक्रिया अनुसार समिति की आमसभा की बैठक बुलायेंगे। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के

अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी का मनोनयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होगा तथा जिस श्रेणी का पदाधिकारी हटा/हटाया गया है, उसी श्रेणी के पदाधिकारी का मनोनयन किया जायेगा ।

५.८ समिति के सचिव को बदलना :

यदि समिति का सचिव संयुक्त वन प्रबंधन सिद्धान्तों के अनुरुप, समिति के हित में तथा दिये गये निर्देशानुसार कार्य नही करता है अथवा किसी प्रकार की अनियमितता करता है अथवा वह स्वयं यह कार्य करने में अनिच्छा दर्शाता है अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से वह कार्य सम्पादन में असमर्थ है, तो सम्बंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा उसे हटाया जा सकेगा तथा उसके स्थान पर अन्य किसी उपयुक्त वनरक्षक/गेंमगार्ड/वनपाल को नियुक्त कर सकेगा ।

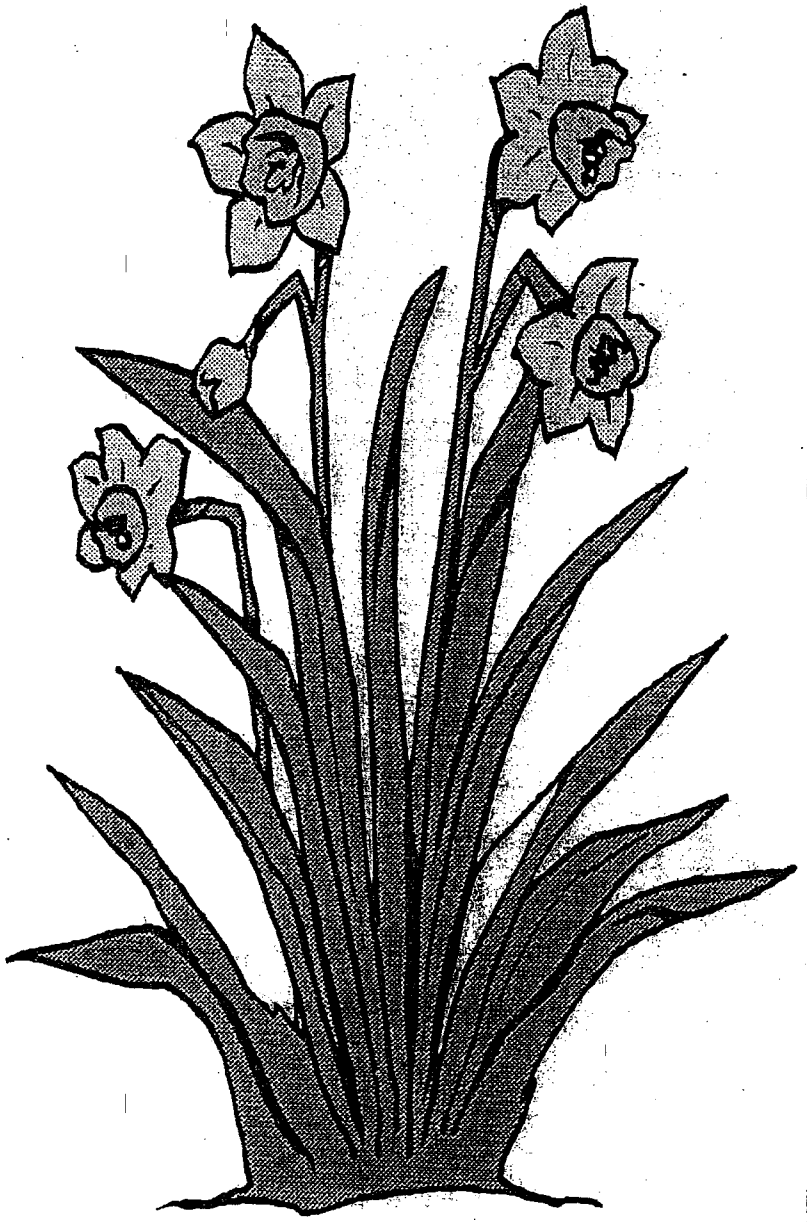

6. समिति के कर्तव्य एवं अधिकार

शासन संकल्प अनुसार वन समिति के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे

६.१ समिति के कर्तव्य:

६.१.१ समिति द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन किया जायेगा।

६.१.२ समिति के सदस्यों द्वारा वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व वन्य प्रणियों का अवैध शिकार से बचाव किया जावेगा तथा वनविभाग को इसमें सहयोग किया जावेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति अपने सदस्यों की सहायता से वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।

६.१.३ वनों एवं वन्यजीवों को नुकसान पहुँचाने वाले अथवा वनक्षेत्र में अवैध प्रवेश / अवैधानिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सूचना वन विभाग को दी जावेगी।

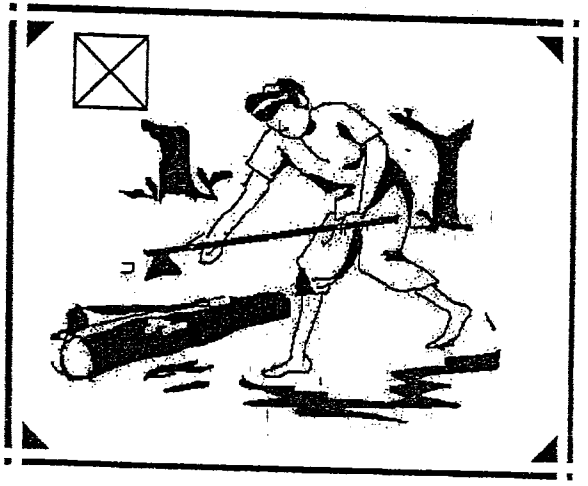

वन कटाई पर रोक

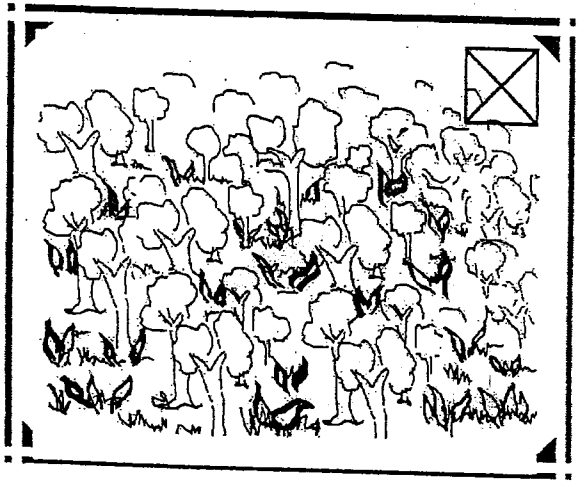

अग्नि सुरक्षा

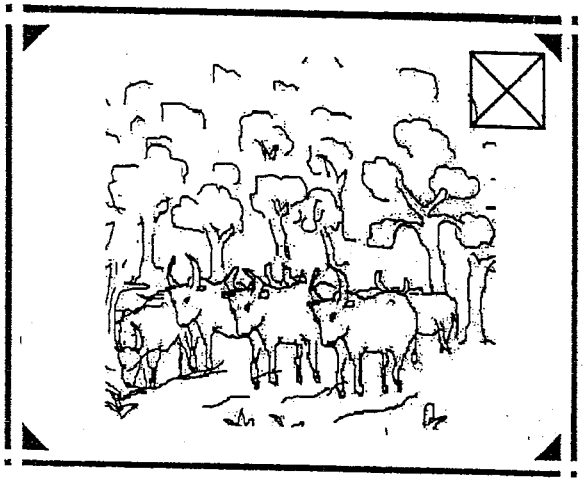

अवैध चराई पर रोक

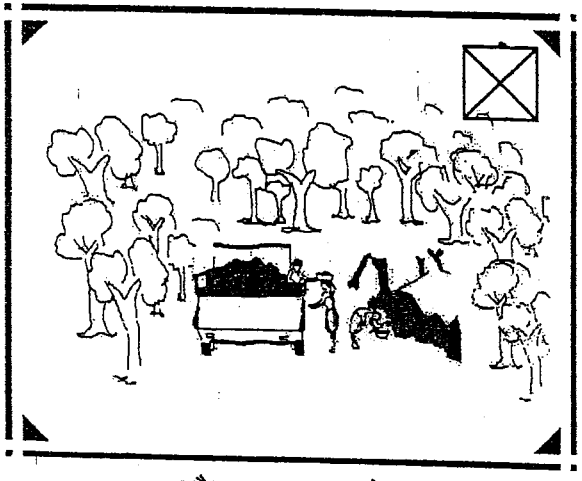

अवैध उत्खनन पर रोक

६.१.४ यदि वन्यप्राणी वनों से भटक कर बाहर आ जाते है तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये निकटस्थ वनाधिकारी को सूचना दी जावेगी।

६.१.५ समिति द्वारा वनविभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना बनाई जायेगी, योजना में सामुदायिक, हितग्राही मूलक, आवश्यकता पर आधारित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का समावेश किया जावेगा। वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण से प्रत्येक अथवा परोक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जावेगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना वनविभाग की ओर से वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं समिति की ओर से कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगी। सूक्ष्म प्रबंध योजना के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना बनाई जायेगी। वार्षिक कार्य आयोजना के कियान्वयन हेतु समिति को एक बार में १० प्रतिशत राशि अग्रिम के रूप में दी जा सकेगी। स्वीकृत योजनाओं का कियान्वयन समिति द्वारा किया जावेगा। यदि कोई समिति कार्यों का संपादन संतोषजनक रूप से नहीं करती है अथवा कार्य

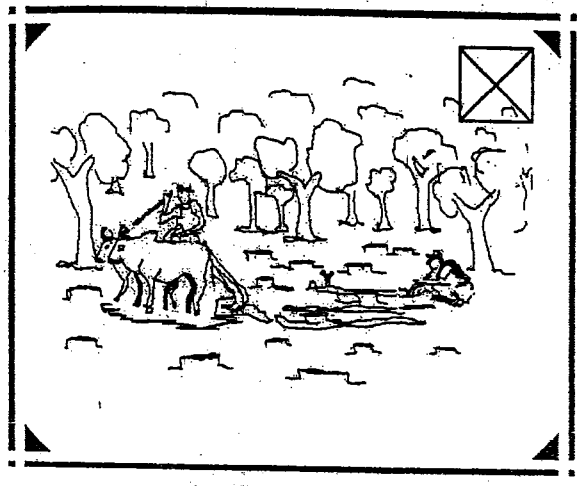

अतिक्रमण पर रोक

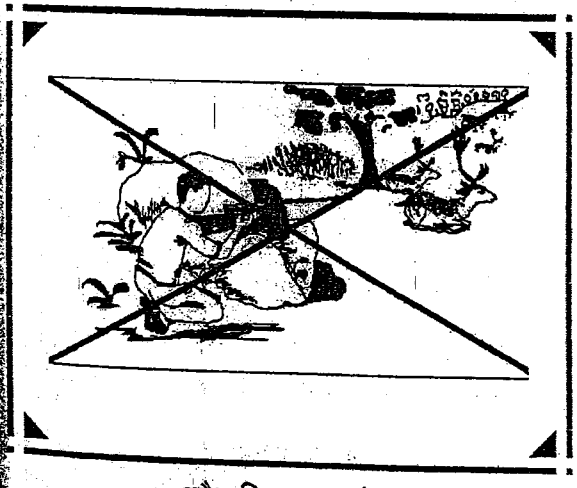

अवैध शिकार पर रोक

करने की इच्छुक नही है तो ऐसे प्रकरणों में कार्य विभागीय तौर पर क्रियान्वित किया जायेगा।

६.१.६ समिति के सदस्यों को उनके क्षेत्र या अन्य वनक्षेत्र में अपराध होने की सूचना होने पर उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना संबंधित बीट / गेमगार्ड को दी जायेगी, साथ ही वनपराधियों को पकड़ने में वनकर्मियों की मदद की जायेगी। पकड़े गये अपराधी तथा वनोपज संबंधित वनाधिकारी को सौप जायेंगे ।

६.१.७ सूक्ष्म प्रबंध योजना के कियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रमघटक के रूप में यथासंभव योगदान सुनिश्चित किया जायेगा।

६.१.८ वन अपराधों की जांच में समिति के सदस्यों के द्वारा वन विभाग के अमले को सहायता दी जायेगी।

६.१.९ वन सुरक्षा के संदर्भ में वन समिति सदस्यों को उनके क्षेत्र में वन गश्त के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वनकर्मियों की भांति ही लोक सेवक माना जायेगा तथा उन्हें लोक सेवक की भांति शासकीय हित में सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के लिये वैधानिक संरक्षण उपलब्ध

होगा। इसी प्रकार यदि वन अपराध की रोकथाम या संज्ञान के दौरान समिति सदस्य घायल होता है या मारा जाता है तो उसे वनकर्मी के अनुरूप समस्त लाभ प्राप्त होंगे।

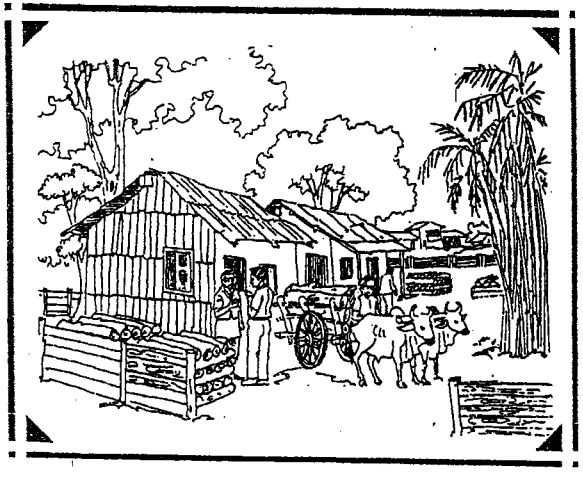

वनोपज विदोहन

६.१.१० यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में वन अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित होने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदंड की ५० प्रतिशत राशि खाते में जमा की जायेगी।

६.२ समिति के अधिकार :

समिति एवं वन विभाग के मध्य समिति को आवंटित क्षेत्र की सुरक्षा एवं कराये जाने वाले कार्य बाबत पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया जायेगा । पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति तथा वन विभाग के मध्य किया जायेगा। वन विभाग की ओर से संबंधी वन परिक्षेत्राधिकारी तथा समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।इस समझौता ज्ञापन में समितियों को आवंटित वनक्षेत्र में वनों की सुरक्षा एवं सम्वर्द्धन तथा वन क्षेत्र में कराये जाने वाले वानिकी कार्यों एवं ग्रामीण संसाधन विकास कार्यों के संबंध में परस्पर सहमति व्यक्त की जावेगी।यदि समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन नहीं

किया जाता है तथा वनाधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी के उपरांत भी सुधार नहीं किया जाता है तो, वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुए पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) समाप्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को प्राप्त होने वाले लाभों की पात्रता समाप्त हो जावेगी। समिति को भंग करने एवं पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) समाप्त करने के लिए वनमण्डलाधिकारी सक्षम होंगे।

जिला स्तरीय वनाधिकारी द्वारा समिति के संयुक्त वन प्रबंधन संबंधी कार्यों से संतुष्ठ होने की स्थिति में तथा पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) का अक्षरश पालन करने की स्थिति में समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :-

६.२.१ सभी समिति के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।

६.२.२ सभी वन समितियों को समय-समय पर सुक्ष्म प्रबंध योजना (माइक्रोप्लान)/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत-प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुये दिया जा सकेगा। वनसुरक्षा समिति को आवंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस/काष्ठ कूप के अंतिम पातन किये जाने पर पातन से प्राप्त वन उत्पाद के १० प्रतिशत उत्पाद का मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदाय किया जायेगा । मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी । काष्ठागार का औसत मूल्य साल, सागौन से प्राप्त इमारती काष्ठ, बल्ली, डेंगरी एवं सतकठा प्रजातियों से प्राप्त इमारती काष्ठ एवं बल्ली/डेंगरी हेतु अलग-अलग निकाला जायेगा । बॉस के मूल्य की गणना काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी ।

६.२.३ ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले/रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त

होने वाले उत्पाद के ३० प्रतिशत उत्पाद का मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदान किया जायेगा। मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी । काष्ठागार का औसत मूल्य साल, सागौन से प्राप्त इमारती काष्ठ, बल्ली, डेंगरी एवं सतकठा प्रजातियों से प्राप्त इमारती काष्ठ एवं बल्ली/डेंगरी हेतु अलग-अलग निकाला जायेगा। बॉस के मूल्य की गणना काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी ।

६.२.४ जो ईको विकास समितियां संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर स्थित है, वहां कटाई पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसी समितियों को भी वनोपज का मूल्य दिया जाये. इस वनोपज का मूल्य संबंधित संरक्षित क्षेत्र में कार्यरत वन सुरक्षा समिति को मिलने वाली वनोपज के समान ही होगा. उपरोक्त व्यवस्था इन ग्रामों को प्रतिवर्ष मिलने वाली निस्तार सुविधा के अतिरिक्त होगी. संरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित ग्रामों में कार्यरत ईको विकास समितियों को उसे आवंटित वनक्षेत्र के घनत्व के आधार पर

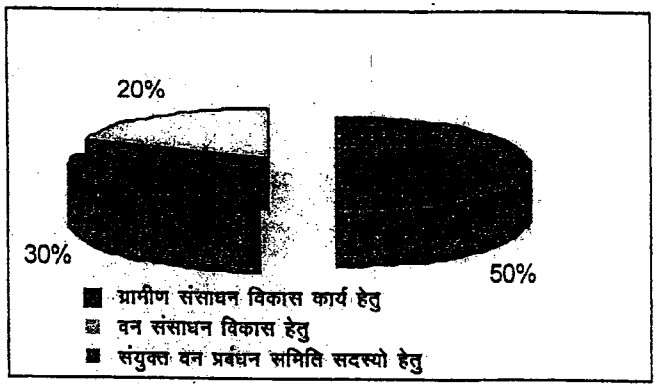

ऊपर दर्शाये अनुसार लाभ प्राप्त होगा ।

६.२.५ प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का ५० प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, ३० प्रतिशत भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं २० प्रतिशत भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा.

६.२.६ लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम १९९६ के प्रावधानों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे.

६.२.७ यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, जो कि ग्राम विकास पर ही व्यय की जायेगी.

६.२.८ यदि समिति के किसी सदस्य द्वाय समिति के कार्यों में असहयोग किया जाता है, तब समिति आम सभा में निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति को निस्तार की पात्रता से वंचित रखते हुए उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा। वन अपराध हेतु की गई कार्यवाही उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त होगी.

६.२.९ समिति अपने समस्त अथवा विशिष्ट अधिकारों को आम सभा की बैठक में निर्णय लेकर कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित कर सकेगी.

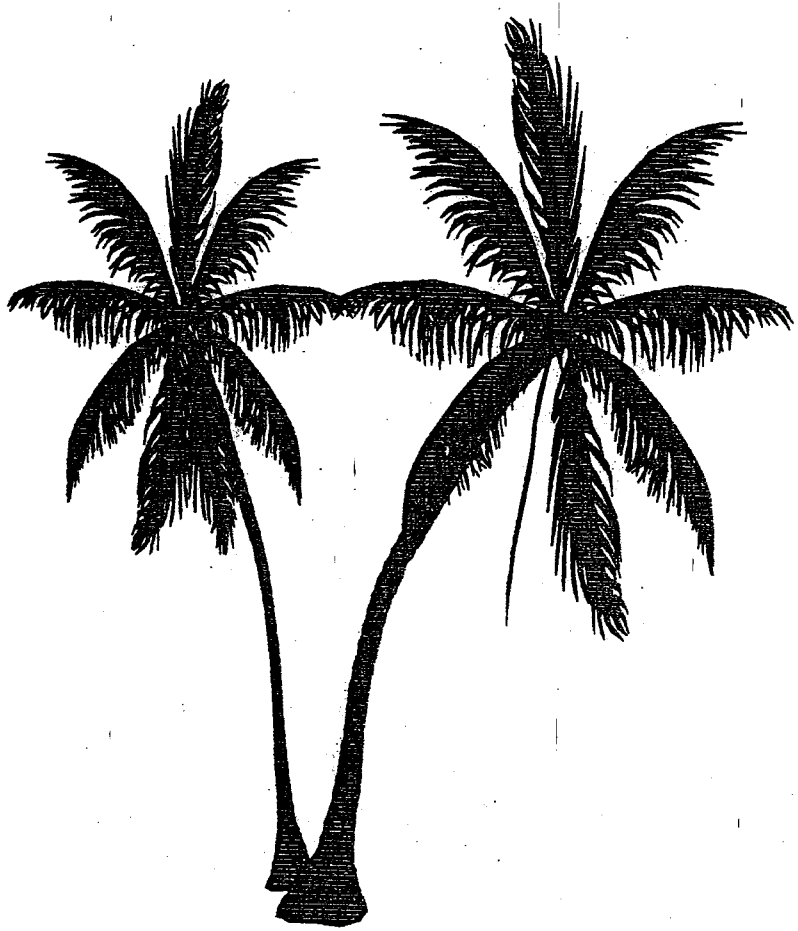

7. समितियों की बैठके, गणपूर्ति एवं निर्धारित कर्तव्य

शासन संकल्प में दर्शाये निर्देशानुसार समितियों की विभिन्न सभायें, उनकी बैठकों की प्रक्रिया एवं उनमें संपादित होने वाले कार्य, बैठकों की गणपूर्ति एवं अन्य संबंधित कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-

७.१ समिति की आमसभा :

७.१.१ ग्राम के मताधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण समिति की आमसभा के सदस्य होंगे, इसके लिये संबंधित वनरक्षक ग्राम की निर्वाचन नामावलियां संबंधित वनमंडल कार्यालय से प्राप्त कर रखेंगे तथा इन सदस्यों का वर्गवार पूर्ण विवरण समिति के सदस्यता रजिस्टर में रखा जावेगा तथा सुनिश्चित् करेंगे कि समिति के सदस्य कंडिका ५.३ में दर्शाये अपात्र व्यक्तियों को छोड़कर शेष ग्रामीण ही बनेंगे तथा इन सदस्यों का वर्गवार पूर्ण विवरण समिति के सदस्यता रजिस्टर में रखा जावेगा।

७.१.२ समिति की इस आमसभा को समिति के कार्य संचालन हेतु सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होगी।

७.१.३ आम सभा की बैठक प्रत्येक ६ माह में कम से कम एक बार आवश्यक रुप से की जावेगी

७.१.४ समिति के अध्यक्ष द्वारा आमसभा के लिये बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा तथा तदाशय की सूचना, बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व समिति के पदेन सचिव द्वारा ग्राम में मुनादी कराकर आमसभा के समस्त सदस्यों को दी जायेगी । बैठक के सम्बन्ध में सूचनापत्र भी तैयार किये जाकर ग्राम में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किये जावेंगे।

७.१.५ बैठक पंचायत भवन, स्कूल अथवा ग्राम में स्थित अन्य शासकीय/ सार्वजनिक स्थल/भवन में आयोजित की जावेगी । बैठक किसी के निजी आवास में आयोजित नही होगी।

७.१.६ बैठक का समय निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जावे कि भूमिहीन, लघु, सीमान्त कृषक व महिलायें बैठक में उपस्थित हो सके।

७.१.७ समिति के सदस्यों में से यदि किसी सदस्य को बैठक में किसी विषय पर चर्चा कराना हो तो वह बैठक की दिनांक के एक दिन पूर्व तक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव को सम्बंधित विषय की सूचना देगा, बैठक की मुनादी कराते समय इस आशय की सूचना समस्त सदस्यों को दी जावेगी कि यदि बैठक में वे किसी विषय पर चर्चा कराना चाहते है, तो समिति के अध्यक्ष/सचिव को बैठक के एक दिन पूर्व तक चर्चा कराने वाले विषय के संबंध में जानकारी दे दें ।

७.१.८ आम सभा की बैठक के प्रांरभ में एक दिन पूर्व तक प्राप्त समस्त विषयों का उल्लेख करते हुए चर्चा होगी एवं आम सहमति से विषय सूची बनाई जायेगी, जिसमें उस दिन की बैठक में चर्चा होने वाले विषयों को तय किया जावेगा। तदोपरांत बैठक में विषयवार विस्तार से चर्चा होगी तथा बहुमत से समिति निर्णय लेगी।

७.१.९ समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कार्यकारिणी के सदस्य/समिति के सदस्य, पदाधिकारी या अधिकारी समिति के किसी धन या अन्य सम्पत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुर्विनियोजन के लिये, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अविचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर अपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगा। वह रकम, ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुर्विनियोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिये अपेक्षित है, वसूली योग्य होगी। परन्तु कोई वसूली तब तक नहीं की जावेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो । यदि संबंधित व्यक्ति रकम का संदाय नहीं करता है, तो ऐसी रकम वसूल की जाकर समिति के कोष में जमा की जायेगी ।

७.२ समिति की आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

समिति की आम सभा के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार होंगे -

७.२.१ समिति की प्रथम आमसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना ।

७.२.२ वन एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के प्रस्तावों पर चर्चा करना।

७.२.३ समिति के आय-व्यय एवं वित्तीय लेखों का अनुमोदन करना।

७.२.४ आगामी वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना (APO) पर चर्चा/निर्माण/अनुमोदन करना ।

७.२.५ वर्ष में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि एवं वार्षिक कार्य आयोजना में उल्लेखित कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में प्राथमिकता का निर्धारण करना ।

७.२.६ विगत वर्षों में कराये गये कार्यों पर आई आडिट आपत्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Auditing) करना ।

७.२.७ विगत वर्ष में समिति को हुये लाभ-पत्रक का प्रस्तुतीकरण एवं उसके उपयोग के संबंध में चर्चा तथा लाभ वितरण हेतु सहमति देना ।

७.२.८ कार्यकारिणी समिति द्वारा विभिन्न विषयों पर लिये गये निर्णयों पर चर्चा एवं अनुमोदन।

७.३ आमसभा की बैठक की अध्यक्षाता :

आमसभा की बैठकों की अध्यक्षाता सामान्यत: समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा की जावेगी, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सदस्य आम सहमति से किसी अन्य सदस्य को बैठक हेतु अध्यक्ष का मनोनयन कर सकेंगे । आमसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षाता, जिसमें समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, ग्राम पंचायत के सरपंच के सभापतित्व में आयोजित की जायेगी।

७.४ आम सभा/कार्यकारणी की बैठकों के पंजियों का संधारण :

७.४.१ आमसभा की कार्यवाही का विवरण इस हेतु निर्धारित पंजी में दर्ज की जायेगी तथा उस पर सभा के अध्यक्ष एवं सचिव/ सह सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

७.४.२ समस्त पंजियों का संधारण समिति के पदेन सचिव/सह सचिव द्वारा किया जायेगा तथा वे आमसभा में विगत आमसभा की बैठकों में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करायेगे ।

७.४.३ आमसभा एवं कार्यकारणी समिति के बैठक की कार्यवाही का विवरण निर्धारित प्रपत्र- ७.१ के अनुसार पंजी में लिखा जावेगा ।

७.५ समिति की कार्यकारिणी की बैठक:

समिति की कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक ३ माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से की जावेगी । समिति के अध्यक्ष द्वारा बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा तथा तदाशय की सूचना, बैठक की तिथि से

कम से कम तीन दिन पूर्व समिति के पदेन सचिव/सह सचिव द्वारा कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को लिखित में दी जायेगी तथा बैठक हेतु निर्धारित पंजी में बैठक की सूचना एवं विषय आमंत्रित करने हेतु सदस्यों से हस्ताक्षर लेंगे। कार्यकारिणी हेतु ५० प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक में नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो पाये, तो बैठक अध्यक्ष द्वारा घोषित दिनांक, स्थान व समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी तथा स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु उसमें पूर्व प्रसारित विषय-सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। विषय सूची में विषय सम्मिलित करने हेतु सदस्य बैठक के एक दिन पूर्व तक प्रस्ताव सचिव, अध्यक्ष को सूचना देगे।

७.६ अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :

वन समिति के अध्यक्ष के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होंगे:

७.६.१ कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन करना ।

७.६.२ समिति के कोष में विभिन्न कार्य हेतु प्राप्त राशि का पदेन सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण करना ।

७.६.३ वन एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा देयकों का भुगतान ।

७.६.४ समिति के आर्थिक उन्नयन हेतु अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार में राशि का भुगतान करना ।

७.६.५ समिति के लेखा को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सचिव के माध्यम से संधारण करना, निरीक्षण, अंकेक्षण के समय संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा कार्यपूर्ति प्रतिवेदन सम्बंधित अधिकारियों को भेजना ।

वन समिति कार्यकारिणी की बैठक

७.६.६ वन एवं ग्राम विकास सम्बंधी कार्यों का स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कराना ।

७.६.७ समिति के कर्तव्यों एवं समय-समय पर मिलने वाले लाभों के संबंध में एक (संविदा/ अनुबंध) एम. ओ.यू. बनाया जायेगा। समिति के अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस एम.ओ.यू.(संविदा/अनुबंध) पर संयुक्त हस्ताक्षर करेंगे ।

७.६.८ किसी विषय पर मतदान कराने की स्थिति में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा । उस विषय पर बराबर-बराबर मत प्राप्त होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

७.७ कार्यकारिणी के कर्तव्य :

समिति की कार्यकारिणी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

७.७.१ समिति द्वाय वन विभाग के साथ मिलकर वन एवं ग्रामीणों के समन्वित विकास हेतु बनाई गई सूक्ष्म प्रबन्ध योजना एवं वार्षिक कार्य आयोजना पर विचार कर उचित सुझाव देगी ।

७.७.२ सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना बनानें में सहयोग करेगी ।

७.७.३ वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्वीकृत सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में उल्लेखित कार्यों का क्रियान्वयन, राशि प्राप्त होने के उपरांत क्षेत्रीय वनाधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन में कराने में सहयोग करेगी ।

७.७.४ समीपस्थ वनक्षेत्र में अपराध होने की सूचना प्राप्त होने पर वे तत्काल संबंधित वनाधिकारियों को इसकी सूचना देंगे । साथ ही वनोपज जप्त कराने एवं वनापराधियों को पकड़ने एवं वनापराधों की जांच में वनकर्मियों की सहायता करेंगे एवं समिति के सदस्यों द्वारा पकड़ी गई वनोपज एवं वनापराधियों को संबंधित वन अधिकारियों को सौंपेगे एवं जप्त वनोपज की सुरक्षा करेगें ।

७.७.५ समिति को द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा समिति सचिव के माध्यम से रखा जावेगा तथा व्यय के अंकेक्षण क्षेत्रीय

वनमंडलाधिकारी/संचालक द्वारा निर्धारित एजेन्सी एवं अधिकारी से कराये जाने पर उन्हें अभिलेख उपलब्ध करायेगा।

७.७.६ समिति द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना अनुसार वार्षिक कार्य योजना हेतु बजट तैयार किया जावेगा तथा समिति द्वारा पिछले वर्ष कराये गये कार्यो की आडिट टीप में उल्लेखित आपत्तियों पर विचार कर, निराकरण के प्रयास करेंगी।

७.७.७ समिति को हुये लाभांश वितरण की रुपरेखा बनाई जावेगी ।

७.७.८ कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी आमसभा में दी जावेगी ।

७.७.९ कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची एवं बैठक की कार्यवाही का विवरण एक पंजी में संधारित की जायेगी तथा उस पर कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी पंजी/अभिलेख भी रखे जावेंगे, जो वनाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जावेंगे, ऐसे समस्त पंजियों का संधारण समिति के पदेन सचिव द्वारा किया जायेगा ।

७.७.१० समिति को आवंटित क्षेत्र से विरलन, सफाई के दौरान एवं निस्तार से प्राप्त वनोपज का सदस्यों के बीच वितरण की न्यायोचित व्यवस्था करेगी ।

७.७.११ समिति को आवंटित क्षेत्र में अंतिम पातन से प्राप्त लाभांश की राशि के न्यायोचित वितरण में वनाधिकारियों को सहयोग करेगी ।

७.७.१२ ग्राम एवं वन विकास योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता ग्रामों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करेगी ।

७.७.१३ समिति द्वारा किये जाने वाले व्यापार से सम्बंधित प्रत्येक विषयों पर निर्णय लेगी तथा लिए गये निर्णय के आधार व्यापार में सहयोग करेगी ।

७.७.१४ ग्रामीणों की आवश्यकता का आंकलन करेगी तथा तदानुसार समिति कोष से चयनित हितग्राहियों को ऋण आदि की सुविधा प्रदान कर उनको रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी ।

७.७.१५ समिति की कोष से हितग्राहियों को दिये गये ऋण की वसूली में हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी ।

७.७.१६ ग्राम में निर्मित संसाधनों के न्यायोचित उपयोग हेतु उचित व्यवस्था करेगी ।

७.७.१७ समिति द्वारा ग्राम में किये गये ग्राम संसाधन विकास कार्यो की सूचना सम्बंधित सरपंच को दी जावेगी ।

७.७.१८ वनाधिकारियों द्वारा समिति के वनक्षेत्र में कराये जाने वाले बीट निरीक्षण के समय समिति के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी ।

७.८ समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम)

आमसभा की गणपूर्ति (कोरम) हेतु ३० प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । यदि आमसभा में नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो पाये, तो बैठक अध्यक्ष द्वारा घोषित दिनांक, स्थान व समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी तथा स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु इस बैठक में पूर्व प्रसारित विषय-सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार नहीं किया जा सकेगा । चुनाव की स्थिति में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, परन्तु यदि किसी बिन्दु पर बराबर-बराबर मत प्राप्त होते है, तो ऐसी दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

8. वनाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार

संयुक्त वन प्रबंध के सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर के वनाधिकारियों के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :-

८.१ वनरक्षक के कर्तव्य -

८.१.१ समिति के गठन हेतु ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन ।

८.१.२ समिति के सचिव/सह सचिव की हैसियत से समिति की बैठकों की कार्यवाही विवरण पंजी एवं लेखा का संधारण ।

८.१.३ समिति के अध्यक्ष को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने तथा योजना में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

८.१.४ समिति के लेखे में आय का नियमित रूप से समायोजन करना ।

८.१.७ समिति गतिविधियों का प्रतिवेदन, परिक्षेत्र कार्यालय में भेजना।

८.१.६ समिति द्वारा कराये जा रहे ग्राम संसाधन विकास एवं वानिकी कार्यों को सम्पादित कराना, कार्य के देयक तैयार कराना, निर्देशानुसार देयकों का परीक्षण कराना, परीक्षणोपरांत अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि आहरित कर अध्यक्ष की उपस्थिति में भुगतान कराना ।

८.२ परिक्षेत्र सहायक के कर्तव्य :

समिति का सचिव होने की स्थिति में उपरोक्त लिखित समस्त कार्य ।

८.२.१ संयुक्त वनप्रबंधन की भावना के अनुरूप कार्य संपादन हेतु समिति को परामर्श देना तथा तदनुसार कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना ।

वनकर्मी द्वारा ग्रामीण को मार्गदर्शन

८.२.२ समिति के गठन हेतु ग्राम में मताधिकार रखने वाले ग्रामीणों की बैठक आयोजित करना तथा बैठक के परिणाम से वनपरिक्षेत्र अधिकारी को अवगत कराना।

८.२.३ समिति को आंवटित किये जाने वाले वनक्षेत्र का भ्रमण कर वन के घनत्व एवं साइट क्वालिटी आदि के संबंध में वनपरिक्षेत्र अधिकारी को प्रतिवेदन देना।

८.२.४ समिति द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा करना, कार्यों का निरीक्षण करना तथा कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रतिवेदन भेजना।

८.३ वन परिक्षेत्र अधिकारी के कर्तव्य -

८.३.१ समिति को आंवटित किये जाने वाले वनक्षेत्र का भ्रमण कर वन के घनत्व एवं साइट क्वालिटी आदि के संबंध में प्रतिवेदन भेजना।

८.३.२ समिति द्वारा वन एवं ग्राम विकास से संबंधित कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में सलाह देना तथा ऐसे कार्यों के वार्षिक कार्य आयोजना तथा प्राक्कलन आदि तैयार कराने में तकनीकी सहयोग देना ।

८.३.३ समिति द्वारा वन्य एवं ग्राम विकास से संबंधित कराये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना ।

८.३.४ समिति के अभिलेखों का परीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि समिति द्वारा सही दिशा में कार्य किये जा रहे है।

८.३.५ समिति को वितरित किये जाने वाले लाभांश की गणना करना तथा तदानुसार बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव भेजना ।

८.३.६ समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें पुरस्कृत करने का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे ।

८.३.७ समिति द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यों का सम्पादन संतोषजनक रुप में नहीं करने पर अथवा कार्य करने में असमर्थता/अनिच्छा व्यक्त करने पर, समिति को प्रदाय की गई अग्रिम की राशि वापस ली जाकर कार्यों का क्रियान्वयन विभागीय तौर पर कराया जावेगा ।

८.४ उपवनमंडलाधिकारी के कर्तव्य -

८.४.१ कार्य आयोजना में दर्शाइ गई वन की स्थिति एवं मौके पर पाई गई वन की स्थिति में भिन्नता पाये जाने पर वन के घनत्व, वन के प्रकार एवं साइट क्वालिटी आदि के संबंध में वनमंडलाधिकारी को प्रतिवेदन भेजना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे वनक्षेत्र के लिए किस प्रकार की समिति का गठन किया जाना है।

८.४.२ वन एवं ग्राम के विकास के लिए कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में समिति को सलाह देना।

८.४.३ सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करना तथा वार्षिक कार्य योजना बनाने में समिति को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

८.४.४ समिति द्वारा संपादित किये जा रहे वन एवं ग्राम विकास से संबंधित कार्यों निरीक्षण करना तथा उनमें सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देना।

८.४.५ समिति के लेखा का अंकेक्षण करना तथा वनमंडलाधिकारी को अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजना

अच्छा काम करने वाली समितियों की पहचान करना तथा उन्हें पुरस्कृत करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजना।

८.४.६ समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने में समिति को सहयोग प्रदान करना, तथा जहां तक संभव हो समितियों की आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों में उपस्थित रहकर संयुक्त वनप्रबंधन की दिशा में समितियों को प्रेरित करना ।

८.४.७ समितियों को वितरित किये जाने वाले लाभांश एवं मुआवजा/अर्थदण्ड के राशि की गणना का परीक्षण करना तथा तदाशय का प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत करना।

८.४.८ समिति एवं समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा शिकायत की जांच में अनियमितता पाई जाने पर समिति को भंग करने के प्रस्ताव वनमंडल अधिकारी को भेजना ।

८.५ वनमंडलाधिकारी/संचालक/उप संचालक के कर्तव्य-

८.५.१ समिति का पंजीयन करना ।

८.७.२ समिति को मुआवजा/अर्थदण्ड की राशि, सफाई एवं विरलन से प्राप्त वनोपज तथा रायल्टी मुक्त निस्तार से संबंधित वनोपज के वितरण की व्यवस्था करना।

८.७.३ समिति के साथ पारस्परिक समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर करना अथवा इस पत्रक पर विभाग की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए किसी अधिकारी को अधिकृत करना ।

८.७.४ समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य शासकीय विभागों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना ।

८.७.५ संयुक्त वनप्रबधंन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों से वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना।

८.७.६ समिति द्वारा कराये जा रहे वन एवं ग्राम विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण करना तथा उनके गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देना ।

८.७.७ अच्छा कार्य करने वाले समितियों पुरस्कृत करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजना ।

८.७.८ समिति द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता का आंकलन संबंधी क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा

८.७.९ वन सुरक्षा समितियों, ग्राम वन समितियों के कार्यक्षेत्र में पडने वाले वनक्षेत्रों में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस/काष्ठ, कूपों के अंतिम पातन किये जाने पर पातन से प्राप्त वन उत्पाद के क्रमशः ३० प्रतिशत एवं १० प्रतिशत उत्पात का मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदाय करना । इको विकास समितियों के सम्बंध में वनोपज का मूल्य सम्बंधित संरक्षित क्षेत्र में कार्यरत वनसुरक्षा समिति को मिलने वाली वनोपज के समान दिया जावेगा ।

८.६ उप वनमंडलाधिकारी के अधिकार -

- समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारणी के पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार
- समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारणी के पदाधिकारियों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता में राशि वसूल करने का अधिकार
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकेगा ।

८.७ वनमंडलाधिकारी के अधिकार -

- समितियों के वनक्षेत्रों को निर्धारण करना ।
- सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन करना ।
- समिति का लेखा एवं सदस्यों के मध्य वनोपज एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाये गये नियमों का परीक्षण करना।
- समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किये जाने पर वनमंडलाधिकारी द्वारा समिति को लिखित में चेतावनी देना तथा चेतावनी देने के उपरांत भी कार्यों में सुधार नहीं किये जाने पर समिति को भंग करना एवं पारस्परिक समझौता पत्रक को समाप्त करना।

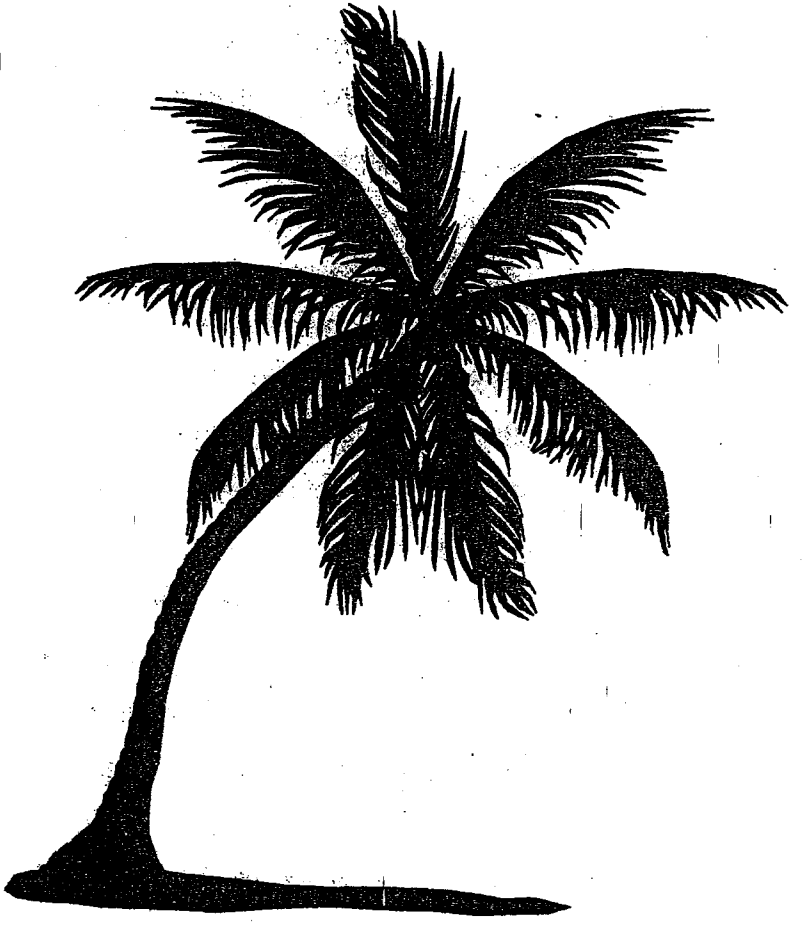

9 समिति के कार्यों पर नियंत्रण

9.1 वन समितियों के कार्यों का निरीक्षण

वन समितियों के कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर संबंधित बीट गार्ड, परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी एंव वनमंडलाधिकारी तथा वनमंडलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

निरीक्षण के समय,समिति के पदाधिकारी तथा सचिव ऐसी समस्त जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे, जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जावेगें। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा समिति के कार्यक्षेत्र में पडने वाले वनक्षेत्रों में अवैध कटाई, अतिक्रमण, अवैध चराई, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध शिकार, अग्नि से सुरक्षा एवं वन विकास एवं ग्रामीण संसाधन विकास संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया जावेगा । साथ ही यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वन सुरक्षा एवं वन तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराये जा रहे हैं ।

9.2 वनाधिकारियों द्वारा समिति के कार्यों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :-

शासकीय संकल्प में दिये निर्देशानुसार समिति के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में वनाधिकारी द्वारा निम्न मापदण्ड अनुसार कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा, तथा इन्हीं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराये गये मूल्यांकन के आधार पर ही वनाधिकारी समिति को सफल/असफल घोषित करेगें ।

9.2.1 अतिक्रमण

- समिति को आवंटित क्षेत्र में नये अतिक्रमण (समिति के सदस्यों के द्वारा या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा) होने पर एवं उसे हटाने में समिति असफल होने की दिशा में समिति को असफल माना जावेगा।
- समिति के सदस्यों के द्वारा समिति को आवंटित बाहरी वनों में अतिक्रमण किये जाने पर समिति को अपात्र घोषित किया जायेगा।
- इसके आधार पर समिति का पंजीयन समाप्त कर MOU को रद्द किया जावेगा।

१.२.२ वनों की सुरक्षा

- वनों की सुरक्षा के लिए नियमित गश्ती के बारे में समिति का सर्मपण (गश्ती पंजी के आधार पर) आंकलन किया जायेगा।
- समिति को आंवटित वनक्षेत्र में एवं आवंटित क्षेत्र के बाहरी वनों में वन अपराध गठित होने पर उसे रोकने की दिशा में समिति के द्वारा किये गये प्रयास।
- समिति को आवंटित वन क्षेत्र में बीट निरीक्षण में पाये गये ठूँठों की संख्या एवं समिति के सहयोग से जप्त की गयी वनोपज का अन्तर मूल्यांकन का आधार होगा ।

वन समिति की बैठक

- वनापराध की घटना के बारे में समिति के द्वारा विभाग को सूचना देना एवं वन अपराध रोकने के लिए समिति के द्वारा किया गया सहयोग/ असहयोग ।
- समिति के सदस्यों के द्वारा उसे आंवटित वनक्षेत्र में एवं आवंटित क्षेत्र के बाहरी वनक्षेत्रों में वन अपराध में लिप्तता ।
- अवैध उत्खनन : अवैध उत्खनन यदि होता है तो उसे रोकने में समिति व्दारा किये गये प्रयास ।
- वृक्षारोपण एवं अन्य चराई प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराई से सुरक्षा कर चराई पर नियंत्रण करना।
- वनमंडलाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लगातार तीन बार सचेत करने के बावजूद वनसुरक्षा में समिति के सदस्यों के द्वारा सहयोग न करने एवं वन अपराधों को रोकने के प्रयास न करने पर, वन अपराध के संबंध में विभाग को समय पर सूचना न देने पर, एवं इन प्रकरणों की रोकथाम में विभाग को सहयोग न करने तथा वन अपराध प्रकरणों में सदस्यों की लिप्तता होने पर

ग्रामीणों द्वारा अग्नि सुरक्षा

समिति को असफल घोषित करते हुये पंजीयन समाप्त कर MOU रद्द किया जायेगा।

९.२.३ अग्नि सुरक्षा

- समिति को आवंटित क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा की स्थिति ।
- समिति को आवंटित क्षेत्र में अथवा समिति को आवंटित क्षेत्र के बाहरी वनों में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए समिति के द्वारा किये गये प्रयास एवं विभाग को समिति के द्वारा अग्नि सुरक्षा में प्रदाय किया गया सहयोग ।

९.२.४ वित्तीय अनियमितता

- समिति के द्वारा किये गये वानिकी एवं गैर वानिकी कार्यों में वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर समिति को असफल माना जावेगा एवं समिति का पंजीयन समाप्त कर भंग करने की कार्यवाही की जावेगी ।

९.३ समिति के कर्तव्यों का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

समिति के माध्यम से कराई गई कार्यों का मूल्यांकन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक को निर्धारित प्रपत्र में अग्रेषित किया जावेगा। (प्रपत्र ९.१ व ९.२) उपरोक्त प्रमाणपत्र के आधार पर वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रपत्र ९.३ में समिति की कार्यप्रणाली बाबत प्रमाण-पत्र दिया जायेगा ।

९.४ समिति को भंग करना

यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा समिति के कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधानिकता पाई जाती है तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार समिति का कार्य असफल पाया जाता है, तो वे इस आशय का प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को देगें। यदि उपवनमंडलाधिकारी कि दृष्टि में समिति द्वारा संपादित

कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नही पाये जाते है तथा उनमें वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित होती है, तो उनके द्वारा इस आशय के दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर वनमंडलाधिकारी, समिति को भंग करने की कार्यवाही प्रारंभ करेगें तथा इस कार्यवाही के दौरान वे समिति के अध्यक्ष को "कारण दर्शाओं सूचना" जारी करेगें । यदि "कारण दर्शाओं सूचना" का समाधान कारक एवं संतोषप्रद उत्तर निर्धारित समय सीमा (३० दिन) में नहीं प्राप्त होता है, तो वनमंडलाधिकारी समिति को भंग करने का आदेश पारित करेगें एवं वित्तीय अनियमितताओं के लिए दोषी शासकीय कर्मचारियों - (समिति के सचिव तथा कार्यमूल्यांकनकर्ता अधिकारी,वन परिक्षेत्र अधिकारी/परिक्षेत्र सहायक) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगें । गंभीर वित्तीय अनियमितता होने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष के विरूद्ध भी पुलिस में प्रकरण दिया जावेगा। प्रकरण में पायी गयी अनियमितता के लिये दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों से हानि की वसूली की कार्यवाही भी पृथक से की जायेगी ।

९.७ अपील

वनमंडलाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरूद्ध समिति द्वारा आदेश दिनांक से ३० दिन के अंदर अपील अध्यक्षों के वन मंडलस्तर पर वन संघ को की जा सकेगी तथा प्रकरण में संघ व्दाय पारित किया गया निर्णय अंतिम होगा ।

९.८ वनमंडल स्तरीय संघ का गठन

समितियों के अध्यक्षों का वनमंडल स्तर पर संघ के गठन की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुसार होगी :

१. वनमण्डल में गठित की गई संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के अध्यक्षों का वनमण्डल स्तर पर एक संघ गठित किया जायेगा।

२. वनमण्डल में गठित की गई समस्त संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष, इस संघ के सदस्य होंगे।

३. संघ की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी, जिसमें संघ के समस्त सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा तथा उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सर्वसम्मति से बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मनोनीत किया जायेगा।

४. वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी), इस संघ के पदेन सचिव होंगे।

५. बैठक की गणपूर्ति के लिए संघ के ३० प्रतिशत सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

९.७ संघ के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. वनमण्डलाधिकारी के समिति को भंग करने तथा पारस्परिक समझौते का ज्ञापन (MOU) समाप्त करने से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध संघ को अपील की जा सकेगी। अपील प्रकरण में संघ का निर्णय अंतिम होगा।

२. पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करना।

३. वनमण्डल के अन्तर्गत विभिन्न संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के मध्य सहयोग एवं सामजस्य बनाना।

४. समितियों में उपलब्ध लघु वनोपज, बांस एवं काष्ठ के संवहनीय उत्पादन एवं विकास की नीति निर्धारित कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की विपणन व्यवस्था निर्धारित करना।

५. सभी वन समितियों के कोष के लेखा-जोखा का परीक्षण कर व्यय हेतु दिशा-निर्देश देना।

६. संघ की बैठक में वन एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करना।

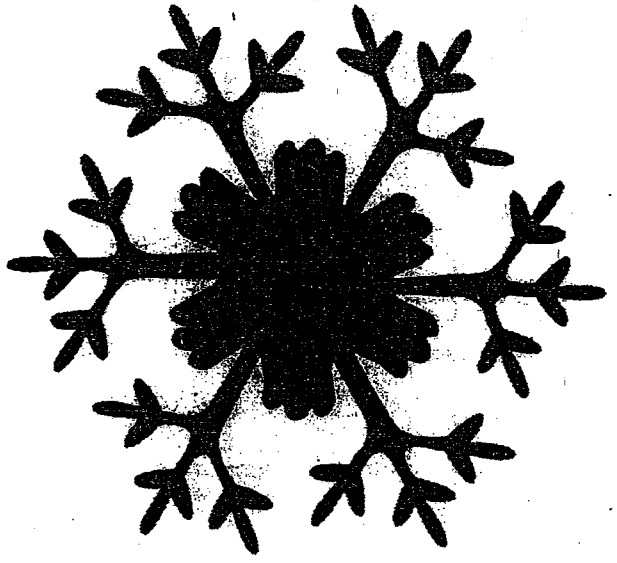

10. वन सुरक्षा में संलग्न समिति सदस्यों को अतिरिक्त लाभ एवं वैधानिक अधिकार

१०. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति के सदस्य की वन सुरक्षा करते हुये वनापराधियों के साथ मुठभेड़ में घायल/मृत्यु होने पर संबंधित सदस्य के परिवारजनों को शासकीय संकल्प के पैरा ११.२ (१२) के तहत दिये जाने वाले अनुग्रह राशि का वितरण निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा :

१०.१ केवल समिति क्षेत्र (आवंटित वनक्षेत्र एवं संलग्न ग्राम) में गश्त के दौरान वन अपराधों की रोकथाम के लिए ईको विकास समिति, वन सुरक्षा समिति एवं ग्राम वन समिति के सदस्य एवं उनके पदाधिकारी, वनाधिकारी माने जावेंगे।

१०.२ यदि समिति क्षेत्र में वन अपराधों की रोकथाम या संज्ञान के दौरान तीनों प्रकार की समितियों का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी घायल होता है या मारा जाता है तो, उसे वनकर्मी के अनुरुप समस्त लाभ एवं वैधानिक संरक्षण प्राप्त होंगे।

१०.३ समिति द्वारा संधारित गश्ती पंजी के अनुसार समिति के सदस्य गश्ती में जायेंगे ऐसे सदस्य, तथा यदि तत्काल वन अपराध की कोई सूचना समिति के सदस्यों को प्राप्त होती है, एवं समिति के सदस्य उसी समय तत्काल मौके पर पहुँचते है, ऐसी स्थिति में घटना स्थल पर बनाये गये पंचनामा में सदस्यों के नाम दर्ज होने की स्थिति में संबंधित सदस्यों को संकल्प के पैरा ११.२.१२ के प्रावधानों के अनुसार वनकर्मी के अनुरुप लाभ की पात्रता होगी ।

१०.४ घटना के समय बनाये गये पंचनामा को गश्ती में सम्मलित सदस्य की उपस्थिति का आधारभूत दस्तावेज माना जायेगा । उक्त पैरा के तहत किसी सदस्य को लाभ दिलाने के लिये समिति के द्वारा घटना की पुष्टि एवं प्रस्ताव अनिवार्य होगा।

१०.५ समिति के सदस्यों का घटनास्थल पर बनाये गये पंचनामा में समिति के सदस्यों की उपस्थिति एवं

समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर समिति का पदेन सचिव इस आशय का प्राथमिक प्रतिवेदन परिक्षेत्र अधिकारी को भेजेंगा।

१०.६ परिक्षेत्र अधिकारी एवं उपवनमंडलाधिकारी मौके का संयुक्त निरीक्षण कर वस्तुस्थिति के आधार पर प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी को अग्रिम निर्णय हेतु भेजेंगे ।

१०.७ घटना के दौरान घायल सदस्यों के प्रकरणों में घटना की पुष्टि संबंधित पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन के आधार पर करेंगे एवं तदोपरांत ही निर्णय लेंगे।

१०.८ मृत्यु से संबंधित प्रकरणों में घटना की पुष्टि हेतु पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट तथा शासकीय चिकित्सक द्वारा दिया गया मरणोपरांत परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तदोपरांत ही मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी को लाभ दिया जा सकेगा।

१०.२ क्षतिपूर्ति राशि का वितरण करने की प्रक्रिया:

१०.२.१ ऐसी घटनाओं में जब किसी समिति के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो तुरन्त मृतक के परिवारजनों को परिक्षेत्र अधिकारी रूपये १०,०००/- की राशि अग्रिम के रुप में वितरित करेगा ।

१०.२.२ इस घटना की पुष्टि जब जिले के पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट से की जाती है तो संबंधित मृतक के वैध उत्तराधिकारी को शेष राशि का ७० प्रतिशत अर्थात रूपये ४५,०००/- की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा किया जावेगा तथा शेष रु० ४५,०००/- की राशि मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी के खाते में जमा की जावेगी ।

11. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना

सूक्ष्म प्रबन्ध योजना (Micro Plan) वह अभिलेख है, जिसमें संयुक्त वन प्रबन्धन के उद्देश्य से गठित समितियों के लिए कार्यों का विस्तृत विवरण होगा। ग्राम स्तर पर गठित की गई वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समितियों के माध्यम से गांव के विकास एवं गाँव के आसपास के जंगलों के प्रबन्धन के लिए ग्राम स्तरीय सूक्ष्म प्रबंध योजना का निर्माण, ग्रामीणों की सहभागिता तथा वन विभाग की तकनीकी दक्षता का समुचित उपयोग करते हुए किया जाना है। सूक्ष्म प्रबंध योजना में वन विकास तथा ग्राम विकास के लिए समग्र प्रावधान किये जावेंगे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म प्रबन्ध योजना केवल ग्राम तथा समीपवर्ती वनों तक सीमित होने के कारण इसे 'सूक्ष्म' की संज्ञा दी गई है, परन्तु इसके प्रभाव बहुत व्यापक होंगे, क्योंकि इसमें ग्राम की समस्याओं को 'सूक्ष्मदर्शी' की सी बारीक दृष्टि से अधिक स्पष्ट रुप से देखते हुए विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये जाना अपेक्षित है।

सूक्ष्म प्रबन्ध योजना तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :-

१. वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबन्धन हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबन्ध योजना में प्रबन्धन के सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्रों में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धान्तों के अनुरुप रहेंगे। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में यह सुनिश्चित् किया जायेगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबन्धन हेतु प्रभावशील नियमों/अधिनियमों का उल्लंघन नही हो रहा है। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में लघु वनोपज के संवहनीय विकास एवं प्रबन्धन के प्रावधान किये जायेंगे। लघु वनोपज की विपणन की रणनीति निर्धारित करने के लिये आसन्न वनक्षेत्रों की समितियों से प्राप्त होने वाली लघु वनोपज का भी ध्यान रखा जावेगा।

२. समिति के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र वन विभाग की सहभागिता से ग्रामीणों द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी। इस योजना में ग्राम का क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्र को सम्मिलित किया जायेगा। योजना में वन प्रबन्ध तथा ग्रामीण

संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के सम्बन्ध में प्रावधान सम्मिलित होंगे। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में संसाधनों की सम्भावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। कार्यों के समक्ष क्रियान्वयन की एजेन्सी एवं संसाधन के सम्भावित स्त्रोत भी दर्शाये जायेंगे।

३. वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति द्वारा तैयार की गई सूक्ष्म प्रबन्ध योजना सम्बन्धित जिला स्तरीय वनाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजी जायेगी। जिला स्तरीय वनाधिकारी द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना का तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण करने के उपरांत अनुमोदन किया जायेगा।

४. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य, जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते है तथा वन साधनों के बेहतर प्रबन्ध से जुड़े हों, उनके लिए भी राशि की व्यवस्था यथासम्भव वन विभाग तथा समिति द्वारा शासकीय राशि, जिला पंचायत, अन्य शासकीय विभागों, जनपद/ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्त्रोंतो से की जायेगी।

५. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का यथासम्भव २५ प्रतिशत योगदान श्रमघटक के रुप में आवश्यक होगा। योगदान के समतुल्य राशि, कार्य के मूल प्रावधान से समिति के खाते में जमा की जावेगी, जिससे समिति द्वारा ग्रामीण संसाधन विकास के कार्य कराये जा सकेंगे।

६. वन विभाग एवं समितियों द्वारा सूक्ष्म प्रबन्ध योजना तैयार करते समय अन्य विकास विभागों का भी सहयोग लिया जायेगा। सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में ग्राम संसाधन विकास हेतु सम्मिलित किये जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अन्य विकास विभागों से तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकेंगे।

७. आर्थिक विकास के ऐसे कार्य, जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त तथा संवहनीय हों, उन्हें सूक्ष्म प्रबन्ध योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा।

८. सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार करने हेतु वर्ष १९९७ में विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में वन समिति हेतु बनाई जाने वाली सूक्ष्म प्रबंध योजना की मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है व तदनुसार ही सूक्ष्म प्रबंध योजना सभी किस्म की समितियों हेतु तैयार की जाना है ।

९. सूक्ष्म प्रबंध योजना, जो साधारणत: १० वर्ष के लिये तैयार की जायेगी, में से हर वर्ष संपादित किये जाने वाले कार्यों को निर्धारित कर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जायेगी, तथा इसके आधार पर ही कार्य संपादित किये जायेंगे ।

जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन:

सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले ग्राम विकास कार्यों के समन्वय के लिये प्रत्येक जिला हेतु एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जायेगा। समिति का स्वरुप निम्नानुसार होगा :

१.	जिला पंचायत की वन स्थाई समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
२.	वन संरक्षक द्वारा नामांकित वनमण्डलाधिकारी	सदस्य सचिव
३,	जिले में पदस्थ वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय),	सदस्य
४,	वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी), संचालक राष्ट्रीय उद्यान उप संचालक, प्रोजेक्ट टाईगर एवं वनमण्डलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) / (भूसंरक्षण)	सदस्य
५,	जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सदस्य
६,	जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
७,	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
८,	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें	सदस्य

९,	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
१०,	उप संचालक, रेशम विभाग	सदस्य
११,	उप संचालक, ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य
१२,	जिला स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
१३,	उप संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
१४,	जिला मत्स्य विकास अधिकारी	सदस्य
१७,	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
१६,	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
१७,	शाखा प्रबंधक, लीड बैंक	सदस्य
१८,	सहायक संचालक, उद्यानिकी विभाग	सदस्य
१९,	ऊर्जा विकास के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति आवश्यकतानुसार अधिकतम दो शासकीय अधिकारियों, जो अपने विषय के विशेषज्ञ हों तथा ग्राम संसाधन विकास कार्यों में तकनीकी अथवा अन्य किस्म के मार्गदर्शन देने से सम्बन्धित हों, को सदस्य के रुप में नामांकित (Nominate) कर सकेगी ।

यह समिति प्रत्येक ४ माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रुप से बैठक आयोजित करेगी।

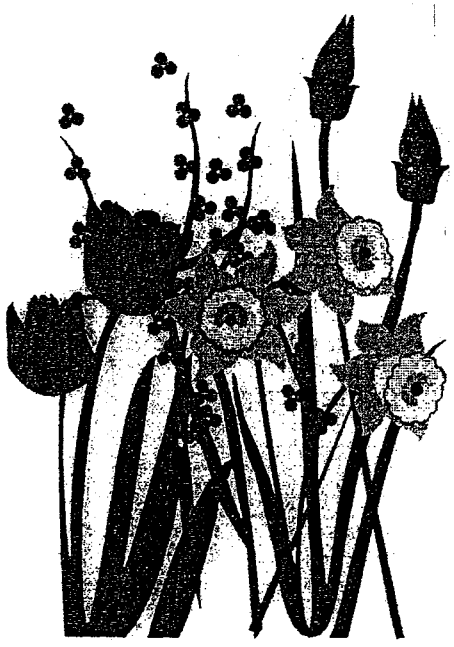

12. समिति का लेखा संधारण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

१२.१ ग्राम वन समिति/वनसुरक्षा समिति/इको विकास समिति के आय व्यय की लेखा प्रक्रिया:

म०प्र० शासन के संकल्प दिनांक 7 फरवरी 2000 में समितियों आर्थिक रूप से सशक्त करने, सूक्ष्म प्रबंध योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध कराने के तथा लाभांश का वितरण कराने के प्रावधान रखे गये है। इसके पूर्व म०प्र० वानिकी परियोजना तथा वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी सुरक्षा राशि तथा ग्राम संसाधन विकास राशि समितियों को उपलब्ध कराई गयी है, तथा इसके लेखा संधारण के संबंध में प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। नये संकल्प के प्रावधानों के अनुसार समितियों की लेखा प्रक्रिया का निर्धारण नये सिरे से किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जो सुदृढ़, सरल एवं पारदर्शी हो। समितियों के वित्तीय प्रबंधन हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

१२.१.१ समिति का बैंक खाता:

समितियों को मुख्य रूप से दो प्रकार के आय तथा व्यय के साधन हो सकते है। प्रथमत: जहाँ समिति को किसी कार्य विशेष हेतु अनुदान तथा संविदा के रूप में राशि प्राप्त होगी जिसका व्यय उसी कार्य विशेष हेतु किया जाना अनिवार्य है, ऐसी राशि को ग्राम संसाधन एवं वन विकास निधि के रूप में रखा जावेगा तथा बैंक में पृथक से खाता खोलना अनिवार्य होगा जिसे "विकास खाता" कहा जावेगा। दूसरा खाता "समिति खाता" के रूप में होगा, जिससे राशि व्यय करने की स्वतंत्रता समिति के पास ही होगी। इस हेतु पृथक से बैंक में खाता खोला जावेगा, जिसे "समिति खाता" कहा जावेगा।

१२.२ समितियों के आय के साधन :

१२.२.१ वन विकास खाता :-

वन विभाग/जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण/अन्य शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं से सामुदायिक कार्य हेतु प्राप्त राशि, जैसे -

- वन विकास कार्य
- निर्माण कार्य (सडक, पुलिया, भवन आदि)
- तालाब, हैण्डपंप, ट्यूब वेल इत्यादि

- सेल्फ हेल्प ग्रुप हेतु अनुदान
- अग्नि सुरक्षा
- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा
- निस्तार डिपो की सुरक्षा इत्यादि
- वन विभाग द्वारा किये जाने वाले वनोपज के अन्तिम पातन के लाभांश से ३० प्रतिशत राशि जो ग्रामीण संसाधन विकास हेतु प्राप्त होगी तथा २० प्रतिशत राशि जो वन विकास हेतु राशि प्राप्त होगी ।
- वन विभाग/अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वाय वानिकी कार्यों की सुरक्षा/रखरखाव हेतु प्राप्त राशि
- वन अपराध में संलग्न अपराधी को पकडवाने के फलस्वरूप समिति को मुआवजा/अर्थदण्ड के रूप में प्राप्त राशि ।
- म.प्र. वानिकी परियोजना के अन्तर्गत ग्राम संसाधन विकास कार्य हेतु प्राप्त राशि ।
- समिति के माध्यम से विदोहन कार्य हेतु वन विभाग से प्राप्त होने वाली राशि ।

१२.२.२ समिति खाता :-

- वन विभाग द्वारा किये जाने वाले वनोपज के अन्तिम पातन के लाभांश से ७० प्रतिशत राशि जो समिति सदस्यों को वितरित की जानी है ।
- लघु वनोपज जैसे घास, लेन्टाना इत्यादि के निर्वतन से प्राप्त राशि
- समिति के माध्यम से विदोहन कार्य हेतु वन विभाग से प्राप्त राशि में से व्यय के उपरांत शेष राशि ।
- सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में वन विकास कार्य निर्माण कार्य, जैसे- सडक, भवन, पुलिया, निर्माण एवं अन्य कार्यों में श्रमदान के रूप में समिति को होने वाली आय।
- बैंकिंग/वित्तीय संस्था से कार्य हेतु ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, जिसे संस्था को वापस लौटाया जाना है ।
- म.प्र. वानिकी परियोजना/वन विभाग से सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य हेतु पूर्व में प्राप्त राशि ।
- खाते में जमा राशि पर ब्याज की राशि ।

- लघु वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार हेतु प्राप्त राशि ।
- दान में रूप में प्राप्त राशि ।
- समिति द्वारा निर्मित संसाधनों से किराया के रूप में प्राप्त राशि ।
- लघु वनोपज की रायल्टी के रूप में प्राप्त राशि ।
- वर्तमान में समिति के पास अन्य कोई शेष राशि ।
- ऋण वापसी से प्राप्त राशि एवं व्याज ।

३ समिति द्वारा किये जाने वाले व्यय का विवरण:

१२.३.१ ग्राम संसाधन एवं वन विकास खाता :

- सामुदायिक निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय तथा मजदूरी का भुगतान ।
- वानिकी कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान ।
- वन सुरक्षा निस्तार डिपो एवं रखरखाव हेतु रखे गऐ चौकीदारों के वेतन का भुगतान ।
- प्राप्त अनुदान का हितग्राहियों को वितरण ।
- कार्यशाला/प्रशिक्षण पर व्यय ।

१२.३.२ समिति खाता :

- सदस्यों को लाभांश का वितरण ।
- स्वरोजगार हेतु ऋण ।
- समिति खाते से समिति की स्वप्रेरणा से किये जाने वाले निर्माण/वानिकी कार्य की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान ।
- लघुवनोपज के क्रय एवं गोदामीकरण इत्यादि का भुगतान ।
- सदस्यों को ऋण का भुगतान
- अन्य समिति को प्रदाय ऋण ।
- समिति द्वारा क्रय किये गये उपकरणों/सामग्री पर व्यय ।
- समिति सदस्यों को प्रदाय किये जाने वाले यात्रा भत्ता इत्यादि ।
- ग्राम संसाधनों के रखरखाव पर व्यय की जाने वाली राशि अन्य आकस्मिक व्यय ।

१२.४ समिति द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेख:

१२.४.१ कैश बुक :

समिति द्वारा संचालित खातों की पृथक-पृथक कैश बुक संधारित की जावेगी । कैश बुक का प्रारूप प्रपत्र १२.१ में है ।

- कैश बुक के प्रारंभ में माह के प्रारंभ में उपलब्ध राशि जो बैंक में जमा हो तथा नगद रूप में हो, दर्शाई जावेगी ।
- माह के दौरान प्राप्ति एवं खर्च का विवरण पृथक से लिखा जावेगा ।
- जिस कार्य हेतु राशि प्राप्त की गई है, उस कार्य का नाम, धनादेश क्र एवं दिनांक तथा जहां से राशि प्राप्त की गई है उस संस्था/विभाग का नाम लिखा जावेगा ।
- व्यय की जाने वाली राशि जिस प्रयोजन हेतु व्यय की गई है उसके लेजर के पृष्ठ का उल्लेख कैश बुक में किया जावेगा तथा संबंधित लेजर पृष्ठ में भी विवरण अंकित किया जावेगा ।
- माह के अंत में माह के पूर्व अवशेष राशि, माह के दौरान प्राप्त राशि तथा व्यय की गई राशि का योग करते हुए, माह के अंत में अवशेष राशि निकालकर बैंक में रखी तथा नगद राशि से मिलान किया जावेगा तथा अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा प्रमाण-पत्र अंकित किया जावेगा ।
- बैंक में जमा राशि पर प्राप्त व्याज पास बुक एवं रोकड़ पुस्तिका में हर ६ माह में लिखा जावेगा।

१२.४.२ लेजर:

समिति द्वारा संचालित ग्राम संसाधन/वनविकास खाता तथा समिति खाता हेतु अलग-अलग लेजर संधारित किया जावेगा । प्रारूप प्रपत्र १२.२ में दिया गया है । इस लेजर में कार्यवाहक विवरण अंकित किया जावेगा ।

- लेजर में कैश बुक के अनुसार कार्य विशेष हेतु प्राप्त राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण रखा जावेगा ।
- कार्य समाप्ति पर लेजर पृष्ठ के नीचे कार्य हेतु प्राप्त कुल राशि, कार्य पर व्यय राशि, तथा अवशेष राशि का विवरण लिखा जावेगा । जो कार्य समाप्ति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने में सहायक होगा ।

१२.४.३ ऋण पुस्तिका लेजर :- यह पुस्तिका समिति खाता में हितग्राहियों को प्रदाय ऋण अथवा स्वयं सहायता समूह को प्रदाय ऋण के हिसाब हेतु संधारित की जावेगी । प्रारूप प्रपत्र १२.३ में है ।

- ऋण पुस्तिका हितग्राही वार बनाई जावेगी ।
- हितग्राही को प्रदाय किये गये ऋण की राशि, समिति द्वारा निर्धारित व्याज, ऋण की अवधि का उल्लेख किया जावेगा ।
- माहवार वसूली का विवरण पंजी में अंकित करते हुए कैश बुक पृष्ठ क्र. का उल्लेख किया जावेगा तथा वसूली की पावती मनी रसीद बुक द्वारा दी जावेगी ।
- ऋण अवधी के अंत में व्याज की गणना की जावेगी तथा यदि पूरी अदायगी नहीं होती है तो, नये सिरे से शेष राशि को ऋण के रूप में लिया जावेगा तथा जब तक पूर्व ऋण का पूरा भुगतान न हो नया ऋण प्रदान नहीं किया जावेगा ।

१२.४.४ परिसम्पति रजिस्टर:

समिति द्वाय पूर्ण कराये गये समस्त कार्य तथा क्रय की गई समस्त उपकरणों/सामग्री का विवरण परिसम्पति का विवरण रजिस्टर में रखा जावेगा। यह रजिस्टर समिति में एक ही रहेगा जो दोनों खातों से प्राप्त राशि के उपयोग से अर्जित सम्पति हेतु रखा जावेगा । प्रत्येक सम्पति का विवरण, तथा निर्माण वर्ष कार्य की लागत, कार्य का माप, राशि प्रदाय कर्ता का नाम, विवरण मेक, इत्यादि का उल्लेख किया जावेगा । इसका सत्यापन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा किया जावेगा तथा निरीक्षण कर्ता अधिकारियों द्वारा टीप अंकित की जावेगी ।

- नाशवान सामग्री के उपयोग हो जाने के पश्चात तद आशय की टीप रजिस्टर में अंकित की जावेगी ।
- समिति द्वारा पूर्ण कराये गये कार्य तथा क्रय की गई उपकरण/सामग्री का हस्तांतरण पंचायत को किये जाने पर तद आशय की टीप रजिस्टर में अंकित की जावेगी ।

१२.४.५ मनी रसीद बुक :

समिति द्वारा समस्त प्राप्तियों हेतु मनी रसीद जारी की जावेगी, तथा यह दोनों खातों हेतु लागू होगी । (प्रारूप प्रपत्र १२.४) यह ३ प्रतियों में होगी

प्रथम प्रति राशि प्रदान करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रदान की जावेगी तथा इसकी दूसरी प्रति प्रमाणक के साथ लेखे में जायेगी तथा तीसरी प्रति प्रतिपर्ण के रुप में बुक में रहेगी।

१२.४.६ प्रमाणकः समिति द्वारा कार्य की राशि के भुगतान हेतु प्रमाणक तैयार किया जावेगा। (प्रारूप प्रपत्र १२.५) प्रमाणक में स्वीकृत कार्य का नाम/मद का नाम तथा भुगतान हेतु कार्य का विवरण एवं श्रमिकों के नाम का उल्लेख होगा । समस्त प्रमाणक सुरक्षित रखे जावेगें ।

१२.४.७ हितग्राही करारनामाः हितग्राही द्वारा ऋण प्राप्ती हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावेगा समिति द्वारा अनुमोदन किये जाने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा । (प्रारूप प्रपत्र १२.६) समिति एवं समिति के सदस्यों के बीच में ऋण के लेनदेन हेतु करारनामा संपादित किया जा सकेगा । (प्रारूप प्रपत्र १२.७)

१२.४.८ वसूली सूचनाः समिति द्वारा सदस्यों को प्रदाय किये गये ऋण की वापसी हेतु वसूली सूचना जारी की जा सकेगी । (प्रारूप प्रपत्र १२.८)

१२.४.९ समिति के आय व्यय का मासिक पत्रक : ग्राम संसाधन एवं वनविकास खाते में प्राप्त राशि तथा व्यय की गई राशि का प्रगति प्रतिवेदन हर माह अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । (प्रारूप प्रपत्र १२.९)

१३.४.१० समिति खाते का आय व्यय का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष के अंत में एक बार परिक्षेत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा । (प्रारूप प्रपत्र १२.१०)

१३.४.११ संविदाः यदि कोई समिति/संस्था किसी कार्य विशेष को स्वयं के द्वारा करने का प्रस्ताव पारित करती है तो ऐसे कार्य संविदा के आधार पर संक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों के तहत समिति को प्रदाय किये जा सकेंगे । यह संविदा दो प्रकार की हो सकती है :-

अ. उत्पादन के कूपों के विदोहन हेतु समिति एवं वन विभाग के मध्य ।

ब. ग्राम संसाधन जैसे रोड़, पुलिया, तालाब, भवन इत्यादि के निर्माण तथा वानिकी कार्य वृक्षारोपण, आर.डी.एफ. , औषधि रोपण हेतु वन विभाग के मध्य।

स. कार्यशाला एवं प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु संविदा।

द. अन्य कोई कार्य ।

- किसी कार्य की संविदा हेतु सर्वप्रथम कार्य का प्राक्कलन अथवा विदोहन योजना तैयार की जावेगी जो वनसंरक्षक द्वारा उस वर्ष हेतु स्वीकृत दरों पर आधारित होगी। ऐसे कार्य जो निर्माण से संबंधित हों, का प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रचलित सी.एस.आर. की दरों पर आधारित होगी। प्राक्कलन समिति द्वारा वन विभाग के सहयोग से तैयार कर वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।
- समिति की आमसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया जावेगा कि समिति उक्त कार्य संविदा की शर्तों के अनुरूप संपादित करने हेतु सहमत है।
- कार्य की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय नियमों के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
- प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत समिति की ओर से अध्यक्ष तथा वन विभाग की ओर से सचिव एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा नामांकित समन्वयक अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप में संविदा निष्पादित की जावेगी। संविदा का अनुमोदन संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- विदोहन हेतु निर्धारित समस्त रजिस्ट्र एवं अभिलेख तथा निर्माण कार्य हेतु माप पुस्तिका इत्यादि समिति द्वारा संधारित की जावेगी, तथा इस कार्य में वनविभाग द्वारा समिति को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।
- संविदा की शर्तों के पालन न करने की स्थिति में उपवनमंडलाधिकारी की अनुशंसा पर वनमंडलाधिकारी द्वारा संविदा भंग की जा सकेगी किन्तु इसके पूर्व समिति को एक बार लिखित में कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक होगा ।
- विदोहन कार्य हेतु संविदा - यदि कोई समिति उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कूप का विदोहन का प्रस्ताव पारित करती है तो उसे निर्धारित प्रपत्र (लेखा प्रपत्र १२.११) में वन विभाग के साथ संविदा संपादित करनी पड़ेगी । समिति

द्वारा संविदा की शर्तों के अनूरूप कार्य किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसका लेखा जोखा वन विकास खाते में रखना अनिवार्य होगा ।

- अन्य कार्य हेतु संविदा - यदि कोई समिति ग्राम संसाधन, वन विकास, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण अथवा अन्य कोई कार्य हेतु अपने कार्य क्षेत्र के भीतर स्वयं के द्वारा कार्य करने का प्रस्ताव पारित करती है तो इस हेतु वन विभाग के साथ कार्य की संविदा निर्धारित प्रारूप (लेख प्रपत्र १२.१२) में संपादित करना होगा। संविदा की शर्तों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों के तहत कार्य की स्वीकृति प्रदान करने पर समिति कार्य का संपादन कर सकती है । ऐसे कार्यों का लेखा जोखा विकास खाते में रखा जाना आवश्यक होगा ।

१२.५ समिति खाते से राशि का आहरण :

१२.५.१ विकास खाता - इस खाते से एक बार में १०,००० रू० से अधिक का आहरण नहीं किया जा सकेगा । किसी भी कार्य के भुगतान हेतु आहरित राशि का भुगतान करने के बाद ही दूसरी बार आहरण किया जा सकेगा ।

- अधिक राशि के भुगतान हेतु परिक्षेत्र अधिकारी के प्रमाणित करने के उपरांत रू० २५,००० की राशि आहरित की जा सकेगी ।
- आहरण हेतु धनादेश समिति के अध्यक्ष, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के पश्चात संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने पर जारी किया जावेगा।
- समिति द्वारा श्रमदान के रूप में अर्जित आय को समिति खाते में हस्तांतरण करने वाले एकाउंट पेयी चैक के ऊपर आहरण किये जाने वाली राशि का प्रतिबंध नहीं रहेगा ।

१२.५.१ समिति खाता:

- इस खाते से आहरण उन्हीं कार्यों हेतु किया जा सकेगा जिसका प्रस्ताव समिति द्वारा पारित किया गया है ।
- इस खाते से एक बार में रू०. ५,००० से अधिक का आहरण नहीं किया जा सकेगा।

- आहरण हेतु धनादेश समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरांत जारी किया जा सकेगा ।

- यदि रू० ५,००० से अधिक राशि का आहरण आवश्यक हो तो परिक्षेत्र अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात रू० २५,००० तक की राशि आहरित की जा सकेगी ।

१२.६ अंकेक्षण:

१२.६.१ वन विकास खाते का अंकेक्षण अनुदान नियमावली में बनाये गये नियमानुसार महालेखाकार या विभाग या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किसी भी ऐजेंसी द्वारा किया जावेगा ।

१२.६.२ समिति खाते का अंकेक्षण, समिति के वार्षिक आय व्यय की सीमा के अनुसार वर्ष में एक बार निम्नानुसार किया जावेगा :-

- रू० १,००,००० से ज्यादा आय अथवा व्यय की सीमा की समितियों का अंकेक्षण वन मंडलाधिकारियों द्वारा किया जावेगा ।

- रू० ५०,००० से १,००,००० तक आय/व्यय की सीमा की समितियों का अंकेक्षण संबंधित उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

- २५,००० से ५०,००० तक की आय/व्यय की सीमा की समितियों का अंकेक्षण संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

- २५,००० से नीचे की आय/व्यय की सीमा के अंतर्गत आने वाली समितियों का अंकेक्षण सोशल ऑडिट समिति द्वारा ही किया जावेगा ।

- समस्त समितियों को वर्ष में एक बार अपने समिति खाते में किये गये आये व्यय का ब्यौरा आम सभा के समक्ष "निरख-परख" विधि से रखकर आम सभा का अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

समिति सम्बंधी कार्यों के लिए प्रपत्र

प्रपत्र –2.1

समिति के कार्यक्षेत्र का विवरण

विभागीय मानचित्र के आधार पर परिक्षेत्र सहायक स्तर के वनाधिकारी द्वारा वन क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ..... वनक्षेत्र किस जोन के अंतर्गत वर्गीकृत होगा। इस हेतु उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एकत्रित की जायेगी।

01 वनमंडल का नाम .....

02 परिक्षेत्र .....

03 सहायक परिक्षेत्र वृत्त .....

04 वन परिसर .....

05 समिति गठन हेतु प्रस्तावित ग्राम .....

06 ग्राम सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में आने वाले निकटतम वन कक्षों का कमांक एवं क्षेत्रफल

	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल

07 उपरोक्त कक्षों की वनसंरचना तथा घनत्व

अ वन का प्रकार (सागौन/साल/मिश्रित) .....

ब साइट क्वालिटी (I\II\III\IVA\IVB) .....

स घनत्व (0से 0.4 तक) एवं (0.4 से ऊपर) .....

08 संनिधि मानचित्र संलग्न है।

09 वनक्षेत्र के उपयुक्तता के आधार के पर समिति के स्वरूप का निर्धारण (वनसुरक्षा/ग्राम वन/इको विकास/समिति) .....

प्रस्तावित

परिक्षेत्र सहायक

वृत्त .....

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र .....

अनुमोदित

उपवनमंडलाधिकारी

उपवनमंडल

प्रपत्र– 2.2

वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

सामान्य वनमण्डल,

द्वारा : उपवनमंडलाधिकारी

विषय :वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति के पंजीकरण के सम्बन्ध में ।

दिनांक ..... को परिक्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम ..... परिसर ..... में आयोजित बैठक में ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रुप से संयुक्त वन प्रबन्धन के तहत वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण समिति गठित करने संबंधी निर्णय लिया गया है । ग्राम की मतदाता सूची में ..... सदस्य हैं, जिनमें से ..... लोगों ने समिति के गठन हेतु सहमति व्यक्त किया है।

अतः ग्रामवासियों की तरफ से अनुरोध है कि उक्त ग्राम में वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति गठित करते हुये पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने का कष्ट करें। समिति के कार्यक्षेत्र का विवरण एवं तत्संबंधी मानचित्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्न –

01 समिति के कार्यक्षेत्र का विवरण पत्रक (प्रपत्र–4)

02 कार्यक्षेत्र का मानचित्र

03 समिति के गठन से संबंधित प्रपत्र (प्रपत्र–3)

परिक्षेत्राधिकारी

परिक्षेत्र .....

वनमण्डल .....

प्रतिलिपि :

वनपाल/उपवनक्षेत्रपाल, वृत्त ..... की ओर उनके पत्र कमांक/..... दिनांक ..... के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

परिक्षेत्राधिकारी

परिक्षेत्र .....

वनमण्डल .....

प्रपत्र – 4.1

संयुक्त वन प्रबंधन से परिचय कराने हेतु आयोजित प्रथम बैठक का प्रारूप

जिस ग्राम में वन सुरक्षा/ग्राम वन/इको विकास समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है उस ग्राम में वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा प्रथम बैठक का आयोजन किया जावेगा। बैठक में ग्रामवासियों को संयुक्त वन प्रबंधन के विषय में जानकारी दी जावेगी, एंव म0प्र0 शासन का संकल्प पढ़कर सुनाया जावेगा। निम्न प्रारूप में परिक्षेत्र सहायक के द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी को बैठक की जानकारी दी जावेगी :–

1 वनमंडल .....

2 परिक्षेत्र .....

3 परिक्षेत्र सहायक .....

4 परिसर .....

5 ग्राम का नाम .....

6 ग्राम पंचायत .....

7 बैठक में वयस्क ग्रामीणों की उपस्थिति .....

पुरूष .....

महिला .....

8 समिति गठन हेतु ग्रामीणो के अभिमत का संक्षिप्त विवरण .....

.....

.....

.....

9 समिति के गठन हेतु उपस्थित वनाधिकारी के अभिमत का संक्षिप्त विवरण

परिक्षेत्र सहायक

वृत्त .....

प्रपत्र – 4.2

समिति के गठन हेतु आम सहमति के पश्चात ग्रामीणों के द्वारा दिये जाने वाले आवेदन का प्रारूप

प्रति,

वन परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र .....

द्वारा : परिक्षेत्र सहायक .....

विषय : ग्राम ..... में ..... समिति के गठन हेतु आवेदन ।

निवेदन है कि दिनांक ..... को वनाधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के उद्देश्यों से हमे अवगत कराया गया। हम ..... ग्राम के निवासी स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, वनों के विकास एवं प्रबंधन से जुड़ना चाहते है।

कृपया हमारे ग्राम में ..... समिति गठन की विधिवत कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

दिनांक .....

क्र.	ग्रामवासियों के नाम	ग्रामवासियों के हस्ताक्षर
01	.....	.....
02	.....	.....
03	.....	.....
04	.....	.....
05	.....	.....
06	.....	.....
07	.....	.....
08	.....	.....
09	.....	.....
10	.....	.....

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र ..... वन मंडल .....

क्रमांक .....

दिनांक .....

ग्राम में ..... श्री ..... परिक्षेत्र सहायक/मेरे द्वारा दिनांक ..... को बैठक आयोजित की जावेगी । कृपया तदानुसार ग्रामवासियों को सूचित करें कि वे अधिक से अधिक संख्या में बैठक में उपस्थित रहें ।

परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र

नोट : यह आवेदन–पत्र ग्रामवासी व्यक्तिगत रुप से परिक्षेत्राधिकारी को देंगे तथा परिक्षेत्राधिकारी आवेदन– पत्र की द्वितीय प्रति पर ग्राम में आयोजित की जाने वाली बैठक की तिथि एवं समय अंकित करेंगे ।

प्रति,

प्रपत्र – 4.3

वन परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र .....

विषय : समिति के पंजीयन की कार्यवाही करने के संबंध में ।

आज दिनांक ..... को ग्राम ..... में मेरे द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संलग्न सूची के अनुसार उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय अनुसार ..... समिति गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। कृपया समिति के पंजीयन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

समिति के सदस्यों एवं अन्य जानकारियों से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :–

01 परिक्षेत्र .....

02 परिक्षेत्र सहायक वृत्त .....

03 परिसर .....

04 ग्राम का नाम .....

05 ग्रामपंचायत ..... थाना ..... तहसील ..... जिला .....

ग्राम में मताधिकार रखने वाले ग्रामीणों की कुल संख्या .....

		अ0जा0	अ0ज0जाति	अ0पि0व0	सामान्य	योग
अ	पुरूष					
ब	महिला					

बैठक में उपस्थित ग्रामीणों की संख्या .....

		अ0जा0	अ0ज0जाति	अ0पि0व0	सामान्य	योग
अ	पुरूष					
ब	महिला					

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि

(सरपंच/पंच/जनपद सदस्य/अन्य)

प्रस्तावित समिति (व.सु.स./ग्रा.व.स./इको वि.स .....

वनपाल/उपवनक्षेत्रपाल

वनपरिक्षेत्र .....

बैठक में उपस्थित मताधिकार रखने वाले व्यक्तियों की सूची

क्रमांक	मताधिकार रखने वाले उपस्थित व्यक्तियों के नाम	हस्ताक्षर
01		
02		
03		
04		

प्रपत्र – 4.4

वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति का पंजीयन प्रमाण–पत्र

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

रजिस्ट्रेशन क्रमांक ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम ..... परिसर ..... तहसील .....जिला ..... में शासन संकल्प क्रमांक एफ–16/4/91/10–2, दिनांक 7 फरवरी, 2000 के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबन्धन हेतु वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति गठित की जाती है।

उक्त शासन संकल्प में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं पालन हेतु वन सुरक्षा/ग्राम वन/ईको विकास समिति एवं वनमण्डल ..... मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की संयुक्त जबावदारी रहेगी । समिति के कार्यक्षेत्र में बीट ..... के कक्ष क्रं..... का कुल ..... हेक्टर वनक्षेत्र रहेगा।

यह प्रमाणपत्र आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को जारी किया गया।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल .....

कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सा./वन्य प्राणि) वनमंडल .....

कमांक/.....

दिनांक .....

प्रतिलिपि :–

01 वनसंरक्षक ..... वृत्त की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

02 जिलाध्यक्ष, जिला ..... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

03 पुलिस अधीक्षक, जिला ..... की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

04 उपवनमंडलाधिकारी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05 परिक्षेत्र अधिकारी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल .....

प्रपत्र 4.5

सयुक्त वन प्रबधन हेतु म.प्र. वन विभाग तथा ग्राम वन समिति के बीच पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum of understanding between Forest Department and VFC For Joint Forest Management)

मध्यप्रदेश के जिला ..... में वन मण्डल ..... के अंतर्गत आनेवाले ..... ग्राम के निवासियों द्वारा म,प्र,शासन के संकल्प एफ/16/4/91/10–2 भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 जिसे आगे सकल्प कहा गया है, के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार गठित की गई ग्राम वन समिति जिसे आगे समिति कहा गया है, जिसमें समिति की कार्यकारिणी तथा उनके सदस्यों का भी समावेश होगा एवं जिसका अर्थ पश्चात्वर्ती समिति से भी होगा ओर म,प्र,शासन, वन विभाग की ओर से जिला स्तरीय वन अधिकारी जिसे आगे वनाधिकारी कहा गया है, जिसका अर्थ पश्चात्वर्ती वनाधिकारी से भी होगा, के बीच निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं प्रबंध की सहमति हुई है, और समिति एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एवं वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास की सूक्ष्म प्रबंध योजना, जिसमें निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबंध एवं विकास कार्यक्रमों का विवरण होगा तथा साथ ही निर्धारित वन क्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण का भी वर्णन होगा, के क्रियान्वयन में पारस्परिक सहयोग की सहमति हुई है, और

समिति द्वारा प्रबंध योजना में निर्दिष्ट ढंग के अनुसार निर्धारित वन क्षेत्र के प्रबंध एवं सुरक्षा करने व गांव में संसाधन विकास और ग्रामीणों के लाभांश/रियायत के न्यायोचित वितरण का दायित्व लेने के लिए लिखित प्रस्ताव पारित कर सहमति व्यक्त की गई है। इसके फलस्वरूप म.प्र. वन विभाग और समिति के बीच आपसी समझौते के निम्न ज्ञापन पर सहमति हुई है, जिसमें निम्न शर्तो के अधीन रहते हुए सहमति पत्र निष्पादित किया जाता है :–

1. समिति के गठन,संचालन,अधिकार,कर्तव्य एवं लाभ के संबंध में म.प्र. शासन के संकल्प क्रमांक एफ/16/4/91/10–2 भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 एवं तत्सम्बधित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करना समिति को मान्य है।

2. समिति को वन प्रबंध हेतु आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र के निर्धारण में समिति वनाधिकारी को आवश्यक सहयोग देना मान्य करती है ताकि समीपवर्ती ग्रामों अथवा समितियों के पारस्परिक उपयोग में आ रहे क्षेत्रों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो और समिति के प्रबंधन हेतु नियत किया जाने वाला क्षेत्र अविवादित हो। यह इस शर्त पर होगा कि वनाधिकारी क्षेत्र निर्धारण का कार्य समिति के परामर्श से करेंगे।

3. वन विभाग के सहयोग से वन प्रबंध तथा ग्राम संसाधन विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा नियत मार्गदर्शी बिन्दुओं, प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और तकनीकी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों द्वारा एक सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने के पश्चात

4. वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे । सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लघंन नहीं हो रहा हैं । समिति उक्त प्रस्ताव को मान्य करती हैं ।

5. सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में वानिकी कार्यो तथा ऐसे कार्य जो ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम करते हैं के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग द्वारा की जायेगी। वानिकी से अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए धनराशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करने का दायित्व समिति को देने का प्रस्ताव समिति को इस शर्त पर मान्य है कि इस काम में वनाधिकारी समिति को आवश्यक सहयोग देंगे। समिति द्वारा भेजे गये ऐसे ग्राम विकास संबंधी प्रस्ताव वनाधिकारी संबंधित विभागों को अपनी टीप/अनुशंसा सहित अग्रेशित करेंगे।

6. अनुमोदित सूक्ष्म प्रबंध योजना के कामों में कुछ न कुछ योगदान श्रम घटक रूप में समिति के सदस्यों की ओर से देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है। यह योगदान कितने प्रतिशत होगा, इसका निर्णय कार्य अवधि, कार्य के लिए उपलब्ध राशि आदि को देखते हुए समिति प्रस्ताव पारित कर स्वयं तय करेंगी, परन्तु श्रम घटक के रुप में ग्रामीणों का योगदान 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

7. वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से समिति द्वारा बचाव करने और वन विभाग को इस काम में सहयोग देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

8. वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, वनों एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाने की कोई घटना समिति की जानकारी में आते ही उसकी सूचना वन विभाग को देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

9. वन अपराधियों को पकड़ने के कार्य में वनकर्मियों की मदद करने और जप्त वनोपज आदि की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति निर्मित होने पर इन कामों में सहयोग करने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

10. समिति यह भी आश्वासन देती है कि विभिन्न स्त्रोतों से समिति को होने वाली आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने की व्यवस्था तथा लेखा परीक्षा वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराने का प्रस्ताव समिति को स्वीकार है।

11. समिति स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेख नियत प्रारूप में तथा नियमित रूप से संधारित होते रहें, इसकी व्यवस्था करने का दायित्व समिति लेती है।

12. समिति के क्षेत्र में समिति के सहयोग से पकड़े गये वन अपराधों के अभिसंधानित होने की दशा में अपराधी से वसूल की गई मुआवजा अर्थदण्ड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा करने का प्रस्ताव शासन द्वारा नियत प्रकिया के अनुसार पालन करना समिति को स्वीकार है।

13. सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुमोदन, वनोपज एवं अन्य लाभों के वितरण हेतु की जाने वाली व्यवस्था में वनाधिकारी को संकल्प अनुसार सौंपे गये अधिकारों के बारे में संकल्प की कंडिका क्रमांक 12.1 तथा कर्तव्यों के बारे में कंडिका क्रमांक 12.2 के प्रावधान समिति की आम सभा व कार्यकारिणी में विचारोपरान्त समिति को मान्य हैं।

14. वन अधिकारी द्वारा समिति के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों में सुधार करना समिति को मान्य है।

15. सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी कार्य में वन विभाग किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा एवं वन विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश नहीं किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव समिति को मान्य है।

16. यह सुनिश्चित करने का दायित्व समिति का होगा कि सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं का वितरण सभी सदस्यों के मध्य न्यायोचित ढंग से हो सके। यदि वन अधिकारी लाभ में न्यायोचित विरण में किसी भी अव्यवस्था या गड़बड़ी के बारे में समिति का ध्यान आकर्षित करता है, तो वन अधिकारी द्वारा सुझाए गये आवश्यक संशोधनों/सुधारों को लागू करने का दायित्व समिति लेती हैं समिति इस संबंध में समय–समय पर शासन या वन अधिकारी द्वारा जारी किये निर्देशों का पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करती है।

17. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि वन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में, ग्राम वन समिति द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना का क्रियान्वयन एवं बिगड़े वनों की सफलतापूर्वक सुरक्षा की गई है, तो वह ग्राम वन समिति को प्रत्येक वर्ष इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् सभी सदस्य समिति के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाओं एवं लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका न्यायोचित वितरण समिति द्वारा किया जावेगा।

अधिकार:

जिला स्तरीय वनाधिकरी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन, प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :–

(1) समिति के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।

(2) समिति के क्षेत्र में समय–समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत–प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए समिति को दिये जा सकेगे।

(3) ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले/रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले उत्पाद के 30 प्रतिशत उत्पाद का मूल्य आनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदाय किया

जायेगा । मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी । काष्ठागार का औसत मूल्य साल, सागौन से प्राप्त इमारती काष्ठ, बल्ली, डेंगरी एवं सतकठा प्रजातियों से प्राप्त इमारती काष्ठ एवं बल्ली/डेंगरी हेतु अलग–अलग निकाला जायेगा । बॉस के मूल्य की गणना काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी ।

(4) प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30 प्रतिशत भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20 प्रतिशत भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा।

(5) लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकारी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश ५ासन द्वारा समय समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे।

(6) यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थ दण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी।

18. वनों में अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. दोनों पक्षों के बीच असहमति अथवा विवाद की स्थिति में, जो कि समझौते के व्याख्या के संबंध में हो या समझौते के किसी शर्त से संबंधित हो, कोई भी पक्षकार अपना पक्ष वन संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिनका निर्णय अंतिम एवं एवं दोनो पक्षों को बाध्यकारी होगा।

अपील

1. यदि समिति द्वारा उसमें कर्त्तव्यों का निष्पादन नहीं किया जाता है तथा वन अधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी देने के उपरान्त भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेडिंग को समाप्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को लाभों की पात्रता नहीं रहेगी ।

2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरूद्ध अपील आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वन मंडल स्तर पर बनाये गये समितियों के अध्यक्षों के संघ को की जा सकेगी ।

3. उपरोक्त अपीलीय संघ का निर्णय अंतिम होगा।

पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum Of Undertstanding)

हम अवगत हैं कि सहमति पत्र में दर्शाये अनुसार लाभांश ग्राम वन समिति को तभी उपलब्ध होंगे जबकि समिति द्वारा MOU में निर्धारित कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं कार्यों को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हों और इस हेतु वनाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष प्रमाणित किया गया हो। यदि सहमति पत्र के उपबंध क्रमांक 3 एवं 5 में उल्लेखित शर्तों को वन अधिकारी समय में पूर्ण करने में असफल रहता है, जिसके फलस्वरुप ग्राम वन समिति अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन में असफल होती है तो, इस बात का प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जावेगा।

मैं ..... ग्राम वन समिति का अध्यक्ष समिति की ओर से इस ज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन हेतु स्वेच्छा से वचनबद्ध हूँ तथा इसमें वर्णित समस्त शर्तों को प्रमाण/साक्ष्य के शब्दशः एवं मूल अर्थों में पढ़कर/समझकर ज्ञापन में हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

(ग्राम वन समिति की ओर से
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

मैं ..... इस ज्ञापन में वर्णित वन विभाग के सभी कर्तव्यों/दायित्वों के परिपालन हेतु वन विभाग की ओर से सहमति देता हूँ।

(वन विभाग की ओर से
वनमण्डलाधिकारी या उनके
द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

दिनांक :

स्थान :

सयुक्त वन प्रबधन हेतु म0प्र0 वन विभाग तथा वन सुरक्षा समिति के बीच पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum of understanding between Forest Department and FPC For Joint Forest Management)

मध्यप्रदेश के जिला ..... में वन मण्डल ..... के अंतर्गत आने वाले ..... ग्राम के निवासियों द्वारा म,प्र, शासन के संकल्प क्रमांक एफ/16/4/91/10–2 भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 जिसे आगे सकल्प कहा गया है, के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार गठित की गई वन सुरक्षा समिति जिसे आगे समिति कहा गया है, जिसमें समिति की कार्यकारिणी तथा उनके सदस्यों का भी समावेश होगा एवं जिसका अर्थ पश्चात्वर्ती समिति से भी होगा और म,प्र, शासन, वन विभाग की ओर से जिला स्तरीय वन अधिकारी जिसे आगे वनाधिकारी कहा गया है, जिसका अर्थ पद्चात्वर्ती वनाधिकारी से भी होगा, के बीच निर्धारित वन क्षेत्र, की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं प्रबंध की सहमति हुई है, और

समिति एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एवं वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास की सूक्ष्म प्रबंध योजना, जिसमें निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबंध एवं विकास कार्यक्रमों का विवरण होगा तथा साथ ही निर्धारित वन क्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण का भी वर्णन होगा, के क्रियान्वयन में पारस्परिक सहयोग की सहमति हुई है, और

समिति द्वारा प्रबंध योजना में निर्दिष्ट ढंग के अनुसार निर्धारित वन क्षेत्र के प्रबंध एवं सुरक्षा करने व गांव में संसाधन विकास और ग्रामीणों के लाभांश/रियायत के न्यायोचित वितरण का दायित्व लेने के लिए लिखित प्रस्ताव पारित कर सहमति व्यक्त की गई है। इसके फलस्वरूप म.प्र. वन विभाग और समिति के बीच आपसी समझौते के निम्न ज्ञापन पर सहमति हुई है, जिसमें निम्न शर्तो के अधीन रहते हुए सहमति पत्र निष्पादित किया जाता है :–

1. समिति के गठन,संचालन,अधिकार,कर्तव्य एवं लाभ के संबंध में म.प्र. शासन के संकल्प क्रमांक एफ/16/4/91/10–2 भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 एवं तत्सम्बधित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करना समिति को मान्य है।

2. समिति को वन प्रबंध हेतु आवंटित किये जाने वाले क्षेत्र के निर्धारण में समिति वनाधिकारी को आवश्यक सहयोग देना मान्य करती है ताकि समीपवर्ती ग्रामों अथवा समितियों के पारस्परिक उपयोग में आ रहे क्षेत्रों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो और समिति के प्रबंधन हेतु नियत किया जाने वाला क्षेत्र अविवादित हो। यह इस शर्त पर होगा कि वनाधिकारी क्षेत्र निर्धारण का कार्य समिति के परामर्श से करेंगे।

3. वन विभाग के सहयोग से वन प्रबंध तथा ग्राम संसाधन विकास कार्यो के लिए शासन द्वारा नियत मार्गदर्शी बिन्दुओं, प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और तकनीकी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों द्वारा एक सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने के प्रस्ताव को समिति मान्य करती है।

4. वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में

प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं। समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे । सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लघंन नहीं हो रहा हैं। समिति उक्त प्रस्ताव को मान्य करती हैं ।

5. सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में वानिकी कार्यों तथा ऐसे कार्यों, जो ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम करते हैं, के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग द्वारा की जायेगी। वानिकी से अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए धनराशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करने का दायित्व समिति को देने का प्रस्ताव समिति को इस शर्त पर मान्य है कि इस काम में वनाधिकारी समिति को आवश्यक सहयोग देंगे। समिति द्वारा भेजे गये ऐसे ग्राम विकास संबंधी प्रस्ताव वनाधिकारी संबंधित विभागों को अपनी टीप/अनुशंसा सहित अग्रेषित करेंगे।

6. अनुमोदित सूक्ष्म प्रबंध योजना के कामों में कुछ न कुछ योगदान श्रम घटक रूप में समिति के सदस्यों की ओर से देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है। यह योगदान कितने प्रतिशत होगा, इसका निर्णय कार्य अवधि कार्य के लिए उपलब्ध राशि आदि को देखते हुए समिति प्रस्ताव पारित कर स्वयं तय करेंगी, परन्तु श्रम घटक के रुप में ग्रामीणों का योगदान 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

7. वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से समिति द्वारा बचाव करने और वन विभाग को इस काम में सहयोग देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

8. वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, वनों एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाने की कोई घटना समिति की जानकारी में आते ही उसकी सूचना वन विभाग को देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

9. वन अपराधियों को पकड़ने के कार्य में वनकर्मयों की मदद करने और जप्त वनोपज आदि की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति निर्मित होने पर इन कामों में सहयोग करने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

10. समिति यह भी आश्वासन देती है कि विभिन्न स्त्रोतों से समिति को होने वाली आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने की व्यवस्था तथा लेखा परीक्षा वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराने का प्रस्ताव समिति को स्वीकार है।

11. समिति स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेख नियत प्रारूप में तथा नियमित रूप से संधारित होते रहें, इसकी व्यवस्था करने का दायित्व समिति लेती है।

12. समिति के क्षेत्र में समिति के सहयोग से पकड़े गये वन अपराधों के अभिसंधानित होने की दशा में अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा करने का प्रस्ताव शासन द्वारा नियत प्रकिया के अनुसार पालन करना समिति को स्वीकार है।

13. सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुमोदन, वनोपज एवं अन्य लाभों के वितरण हेतु की

जाने वाली व्यवस्था में वनाधिकारी को संकल्प अनुसार सौंपे गये अधिकारों के बारे में संकल्प की कंडिका क्रमांक 12.1 तथा कर्तव्यों के बारे में कंडिका क्रमांक 12,2 के प्रावधान समिति की आम सभा व कार्यकारिणी में विचारोपरान्त समिति को मान्य है।

14. वन अधिकारी द्वारा समिति के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों में सुधार करना समिति को मान्य है।

15. सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी कार्य में वन विभाग किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा एवं वन विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश नहीं किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव समिति को मान्य है।

16. यह सुनिद्दिचत करने का दायित्व समिति का होगा कि सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं का वितरण सभी सदस्यों के मध्य न्यायोचित ढंग से हो सके। यदि वन अधिकारी लाभ में न्यायोचित वितरण में किसी भी अव्यवस्था या गड़बड़ी के बारे में समिति का ध्यान आकर्षित करता है, तो वन अधिकारी द्वारा सुझाए गये आवश्यक संशोधनों/सुधारों को लागू करने का दायित्व समिति लेती हैं समिति इस संबंध में समय–समय पर शासन या वन अधिकारी द्वारा जारी किये निर्देशों का पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करती है।

17. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि वन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में, वन सुरक्षा समिति द्वारा वनों की सुरक्षा का कार्य एवं सूक्ष्म प्रबंध योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया है, तो वह वन सुरक्षा समिति को प्रत्येक वर्ष इस आद्दाय का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् सभी सदस्य समिति के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाओं एवं लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका न्यायोचित वितरण समिति द्वारा किया जावेगा।

अधिकार:

जिला स्तरीय वनाधिकरी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे:–

(1) समिति के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।

(2) समिति के क्षेत्र में समय–समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत–प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए समिति को दिये जा सकेगे।

(3) वन सुरक्षा समिति को आवंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप बांस/काष्ट कूप के अंतिम पातन किये जाने पर पातन से प्राप्त वन उत्पाद के 10 प्रतिशत उत्पाद का मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय लेकर समिति को प्रदाय किया जायेगा। मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी। काष्ठागार का औसत मूल्य साल, सागौन से प्राप्त इमारती काष्ठ, बल्ली,

डेंगरी एवं सतकठा प्रजातियों से प्राप्त इमारती काष्ठ एवं बल्ली/डेंगरी हेतु अलग–अलग निकाला जायेगा । बॉस के मूल्य की गणना काष्ठागार में कलेण्डर वर्ष के दौरान प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर की जायेगी ।

(4) प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30 प्रतिशत भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20 प्रतिशत भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा।

(5) लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकारी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे।

(6) यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थ दण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, ।

8. वनों में अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9. दोनों पक्षों के बीच असहमति अथवा विवाद की स्थिति में, जो कि समझौते के व्याख्या के संबंध में हो या समझौते के किसी शर्त से संबंधित हो, कोई भी पक्षकार अपना पक्ष वन संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को बाध्यकारी होगा।

अपील

1. यदि समिति द्वारा उसमें कर्त्तव्यों का निष्पादन नहीं किया जाता है तथा वन अधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी देने के उपरान्त भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये 'मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेडिंग' को समाप्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को लाभों की पात्रता नहीं रहेगी ।

2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरूद्ध अपील आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वन मंडल स्तर पर बनाये गये समितियों के अध्यक्षों के संघ को की जा सकेगी ।

3. उपरोक्त अपीलीय संघ का निर्णय अंतिम होगा।

पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum Of Undertstanding)

हम अवगत हैं कि सहमति पत्र में दर्शाये अनुसार लाभांश वन सुरक्षा समिति को तभी उपलब्ध होंगे जबकि समिति द्वारा MOU में निर्धारित कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं कार्यों को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हों और इस हेतुं वनाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष प्रमाणित किया गया हो। यदि सहमति पत्र के उपबंध क्रमांक 3 एवं 5 में उल्लेखित शर्तों को वन अधिकारी समय में पूर्ण करने में असफल रहता है, जिसके फलस्वरुप वन सुरक्षा समिति अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन में असफल होती है तो, इस बात का प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जावेगा।

मैं ..... वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष समिति की ओर से इस ज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन हेतु स्वेच्छा से वचनबद्ध हूँ तथा इसमें वर्णित समस्त शर्तों को प्रमाण/साक्ष्य के शब्दशः एवं मूल अर्थों में पढ़कर/समझकर ज्ञापन में हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

वन सुरक्षा समिति की ओर से
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

मैं ..... इस ज्ञापन में वर्णित वन विभाग के सभी कर्तव्यों/दायित्वों के परिपालन हेतु वन विभाग की ओर से सहमति देता हूँ।

(वन विभाग की ओर से
वनमण्डलाधिकारी या उनके
द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

दिनांक :

स्थान :

संयुक्त वन प्रबधन हेतु म.प्र. वन विभाग तथा ईको विकास समिति के बीच पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum of understanding between Forest Department and EDC For Joint Forest Management)

मध्यप्रदेश के जिला ..... में वनमण्डल .... के अंतर्गत आने वाले ..... ग्राम के निवासियों द्वारा म.प्र, शासन के संकल्प क्रमांक एफ/16/4/91/10–2, भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 जिसे आगे संकल्प कहा गया है, के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार गठित की गई ईको विकास समिति जिसे आगे समिति कहा गया है, जिसमें समिति की कार्यकारिणी तथा उनके सदस्यों का भी समावेश होगा एवं जिसका अर्थ पश्चात्वर्ती समिति से भी होगा और म.प्र, शासन, वन विभाग की ओर से जिला स्तरीय वन अधिकारी जिसे आगे वनाधिकारी कहा गया है, जिसका अर्थ पश्चात्वर्ती वनाधिकारी से भी होगा, के बीच निर्धारित वन क्षेत्र, की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं प्रबंध की सहमति हुई है, और

समिति एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित एवं वनाधिकारी द्वारा अनुमोदित वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास की सूक्ष्म प्रबंध योजना, जिसमें निर्धारित वन क्षेत्र की सुरक्षा, प्रबंध एवं विकास कार्यक्रमों का विवरण होगा तथा साथ ही निर्धारित वन क्षेत्र एवं ग्राम के सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं के न्यायोचित वितरण का भी वर्णन होगा, के क्रियान्वयन में पारस्परिक सहयोग की सहमति हुई है, और –

समिति द्वारा प्रबंध योजना में निर्दिष्ट ढंग के अनुसार निर्धारित वन क्षेत्र के प्रबंध एवं सुरक्षा करने व गांव में संसाधन विकास और ग्रामीणों के लाभांश/रियायत के न्यायोचित वितरण का दायित्व लेने के लिए लिखित प्रस्ताव पारित कर सहमति व्यक्त की गई है। इसके फलस्वरूप म.प्र. वन विभाग और समिति के बीच आपसी समझौते के निम्न ज्ञापन पर सहमति हुई है, जिसमें निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए सहमति पत्र निष्पादित किया जाता है:–

1. समिति के गठन, संचालन, अधिकार, कर्तव्य एवं लाभ के संबंध में म0प्र0 शासन के संकल्प क्रमांक एफ/16/4/91/10–2 भोपाल दिनांक 7 फरवरी 2000 एवं तत्सम्बधित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करना समिति को मान्य है।

2. संरक्षित क्षेत्र के अंदर गठित ईको विकास समितियों हेतु वनक्षेत्र चयन नहीं किया जावेगा। संरक्षित क्षेत्र के बाहर के ग्रामों, जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है, के लिये ही संकल्प की कंडिका क्रमांक 7.1 के आधार पर संरक्षित क्षेत्र से बाहर का वनक्षेत्र प्रबंधन हेतु ईको विकास समिति को दिया जा सकेगा।

3. वन विभाग के सहयोग से ग्राम संसाधन विकास कार्यो के लिए शासन द्वारा नियत मार्गदर्शी बिन्दुओं, प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और तकनीकी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों द्वारा एक सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने के प्रस्ताव को समिति मान्य करती है।

4. वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं । समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे । सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लघंन नहीं हो रहा हैं । समिति उक्त प्रस्ताव को मान्य करती हैं ।

5. सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में वानिकी कार्यो तथा ऐसे कार्यों, जो ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम करते हैं, के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग द्वारा की जायेगी। वानिकी से अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए धनराशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करने का दायित्व समिति को देने का प्रस्ताव समिति को इस शर्त पर मान्य है कि इस काम में वनाधिकारी समिति को आवश्यक सहयोग देंगे। समिति द्वारा भेजे गये ऐसे ग्राम विकास संबंधी प्रस्ताव वनाधिकारी संबंधित विभागों को अपनी टीप/अनुशंसा सहित अग्रेषित करेंगे।

6. अनुमोदित सूक्ष्म प्रबंध योजना के कामों में कुछ न कुछ योगदान श्रम घटक रूप में समिति के सदस्यों की ओर से देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है। यह योगदान कितने प्रतिशत होगा, इसका निर्णय कार्य अवधि, कार्य के लिए उपलब्ध राशि आदि को देखते हुए समिति प्रस्ताव पारित कर स्वयं तय करेंगी, परन्तु श्रम घटक के रुप में ग्रामीणों का योगदान 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

7. वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से समिति द्वारा बचाव करने और वन विभाग को इस काम में सहयोग देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

8. वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, वनों एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाने की कोई घटना समिति की जानकारी में आते ही उसकी सूचना वन विभाग को देने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

9. वन अपराधियों को पकड़ने के कार्य में वनकर्मियों की मदद करने और जप्त वनोपज आदि की सुरक्षा करने का दायित्व सौंपे जाने की स्थिति निर्मित होने पर इन कामों में सहयोग करने का प्रस्ताव समिति को मान्य है।

10. समिति यह भी आश्वासन देती है कि विभिन्न स्त्रोतों से समिति को होने वाली आय–व्यय का लेखा–जोखा रखने की व्यवस्था तथा लेखा परीक्षा वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराने का प्रस्ताव समिति को स्वीकार है।

11. समिति स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेख नियत प्रारूप में तथा नियमित रूप से संधारित होते रहें, इसकी व्यवस्था करने का दायित्व समिति लेती है।

12. समिति के क्षेत्र में समिति के सहयोग से पकड़े गये वन अपराधों के अभिसंधानित होने की दशा में अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा करने का प्रस्ताव शासन द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार पालन करना समिति को स्वीकार है।

13. सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुमोदन, वनोपज एवं अन्य लाभों के वितरण हेतु की जाने वाली व्यवस्था में वनाधिकारी को संकल्प अनुसार सौंपे गये अधिकारों के बारे में संकल्प की कंडिका क्रमांक 12,1 तथा वनाधिकारी के कर्तव्यों के बारे में कंडिका क्रमांक 12,2 के प्रावधान समिति की आम सभा व कार्यकारिणी में विचारोपरान्त समिति को मान्य है।

14. वन अधिकारी द्वारा समिति के कार्यों की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों में सुधार करना समिति को मान्य है।

15. सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी कार्य में वन विभाग किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा एवं वन विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई भी दावा पेश नहीं किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव समिति को मान्य है।

16. यह सुनिश्चित करने का दायित्व समिति का होगा कि सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पाद एवं सेवाओं का वितरण सभी सदस्यों के मध्य न्यायोचित ढंग से हो सके। यदि वन अधिकारी लाभ में न्यायोचित वितरण में किसी भी अव्यवस्था या गड़बड़ी के बारे में समिति का ध्यान आकर्षित करता है, तो वन अधिकारी द्वारा सुझाए गये आवश्यक संशोधनों/सुधारों को लागू करने का दायित्व समिति लेती हैं। समिति इस संबंध में समय–समय पर शासन या वन अधिकारी द्वारा जारी किये निर्देशों का पालन करने हेतु सहमति व्यक्त करती है।

17. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि वन अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में, ईको विकास समिति द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना का क्रियान्वयन एवं वनों की सफलतापूर्वक सुरक्षा की गई है, तो वह ईको विकास समिति को प्रत्येक वर्ष इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् सभी सदस्य समिति के माध्यम से निम्नलिखित सुविधाओं एवं लाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका न्यायोचित वितरण समिति द्वारा किया जावेगा।

अधिकार:

जिला स्तरीय वनाधिकरी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :–

(1) समिति के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी।

(2) समिति के क्षेत्र में समय–समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत–प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए समिति को दिये जा सकेगे।

(3) ईको विकास समितियों को प्राप्त होने वाले लाभ शासन द्वारा समय–समय पर नियत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरुप होंगे।

(4) प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50

प्रतिशत भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30 प्रतिशत भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20 प्रतिशत भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा।

(5) लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकारी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों तथा इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे।

(6) यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थ दण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, ।

18. वनों में अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. वन हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार होने वाली कार्यवाही इसके अतिरिक्त होगी।

20. दोनों पक्षों के बीच असहमति अथवा विवाद की स्थिति में, जो कि समझौते के व्याख्या के संबंध में हो या समझौते के किसी शर्त से संबंधित हो, कोई भी पक्षकार अपना पक्ष वन संरक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को बाध्यकारी होगा।

अपील

1. यदि समिति द्वारा उसमें कर्त्तव्यों का निष्पादन नहीं किया जाता है तथा वन अधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी देने के उपरान्त भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेडिंग को समाप्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को लाभों की पात्रता नहीं रहेगी ।

2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरूद्ध अपील आदेश की तिथि से एक माह के अंदर वन मंडल स्तर पर बनाये गये समितियों के अध्यक्षों के संघ को की जा सकेगी ।

3. उपरोक्त अपीलीय संघ का निर्णय अंतिम होगा।

पारस्परिक सहमति का ज्ञापन

(Memorandum Of Undertstanding)

हम अवगत हैं कि सहमति पत्र में दर्शाये अनुसार लाभांश ईको विकास समिति को तभी उपलब्ध होंगे जबकि समिति द्वारा MOU में निर्धारित कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं कार्यों को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया गया हों और इस हेतु वनाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष प्रमाणित किया गया हो। यदि सहमति पत्र के उपबंध क्रमांक 3 एवं 5 में उल्लेखित शर्तों को वन अधिकारी समय में पूर्ण करने में असफल रहता है, जिसके फलस्वरुप ईको विकास समिति अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निष्पादन में असफल होती है तो, इस बात का प्रत्येक वर्ष किये जाने वाले मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जावेगा।

मैं.....ईको विकास समिति का अध्यक्ष समिति की ओर से इस ज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों के परिपालन हेतु। स्वेच्छा से वचनबद्ध हूँ तथा इसमें वर्णित समस्त शर्तों को प्रमाण/साक्ष्य के शब्दशः एवं मूल अर्थों में पढ़कर/समझकर ज्ञापन में हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

(ईको विकास समिति की ओर से
समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

मैं.....इस ज्ञापन में वर्णित वन विभाग के सभी कर्तव्यों/दायित्वों के परिपालन हेतु वन विभाग की ओर से सहमति देता हूँ।

(वन विभाग की ओर से
वनमण्डलाधिकारी या उनके
द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

साक्ष्य :

1.

2.

दिनांक:

स्थान:

प्रपत्र – 5.1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम वन/वनसुरक्षा/इको विकास समिति ..... के आमसभा की बैठक दिनांक ..... को श्री ..... सरपंच, ग्राम पंचायत ..... के अध्यक्षता एवं श्री ..... परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र ..... की उपस्थिति में आयोजित की गई थी ।

इस बैठक में निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया :–

01 अध्यक्ष , श्री /श्रीमती .....

02 उपाध्यक्ष, श्री /श्रीमती .....

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षत्र.....

सरपंच
ग्राम पंचायत .....

वनसुरक्षा/ग्रामवन/इको विकास समिति एवं उसके कार्यकारिणी के गठन का विवरण

01 वनसुरक्षा/ग्राम वन/इको विकास समिति का .....

02 वनपरिक्षेत्र ..... परिक्षेत्र सहायक वृत्त ..... परिसर .....

03 पुलिस थाना ..... ग्राम पंचायत ..... विकास खंड .....

04 समिति का कार्य क्षेत्र ..... वन खंड का नाम ..... कक्ष कमांक .....

सरंक्षित/..... आरक्षित क्षेत्रफल हे0.....

05 सीमाऐं – उत्तर ..... पूर्व ..... दक्षिण ..... पश्चिम .....

(मानचित्र संलग्न है)

06 वनसुरक्षा/ग्राम वन/इको विकास समिति के सदस्यों का विवरण

1 समिति के ग्राम का नाम .....

2 ग्राम में कुल परिवारों की संख्या .....

3 समिति के सदस्यों की संख्या .....

06 समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों का विवरण :–

अ कार्यकारिणी के सदस्य संख्या .....

(11 से 21 तक, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त)

महिला सदस्यों की संख्या .....

भूमिहीन सदस्यों की संख्या .....

अनु0जा0 के सदस्यों की संख्या .....

अनु0ज0जा0 के सदस्यों की संख्या .....

अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या .....

कार्यरत स्व–सहायता समूह से सदस्यों की संख्या .....

राजीव गांधी मिशन में जलग्रहण क्षेत्र विकास समिति

के सदस्यों की संख्या .....

ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों से

सदस्यों की संख्या .....

ब पदेन सदस्य ..... सरपंच/पंचों की संख्या .....

स पदेन सदस्य सचिव ..... प्रभारी उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक

पदेन सदस्य सह सचिव उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक

कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या .....

07 कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का विवरण :–

01 श्री /श्रीमती ..... अध्यक्ष, निवासी ग्राम .....

02 श्री /श्रीमती ..... उपाध्यक्ष, निवासी ग्राम .....

03 श्री/श्रीमती ..... कार्यकारिणी सदस्य, निवासी ग्राम .....

04 .....

05 .....

06 .....

07 .....

08 .....

09 .....

10 .....

11 .....

12 .....

13 .....

14 .....

15 .....

16 .....

17 .....

18 .....

19 .....

20 .....

21 .....

पदेन सदस्यों के नाम :–

01 श्री/श्रीमती ..... सरपंच, ग्राम पंचायत .....

02 श्री/श्रीमती ..... पंच, ग्राम पंचायत .....

03 .....

04 .....

05 .....

06 .....

07 .....

08 .....

09 .....

10 .....

11 .....

12 श्री ..... पदेन सचिव, सह सचिव उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक

परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र .....

प्रतिलिपि :–

01 वनमंडलाधिकारी, वनमंडल .....

02 उपवनमंडलाधिकारी, उपवनमंडल .....

03 अध्यक्ष, वनसुरक्षा/ग्राम वन/इकोविकास समिति ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

परिक्षेत्र अधिकारी

परिक्षेत्र .....

प्रपत्र – 7.1

आमसभा/कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही का विवरण

दिनांक .....

समय .....

स्थान .....

उपस्थित सदस्यों का विवरण

क्रमांक	सदस्यों का नाम एवं निवास स्थान	हस्ताक्षर
01	.....	.....
02	.....	.....
03	.....	.....

बैठक की विषय सूची

01 .....

02 .....

बैठक में हुई चर्चा का विवरण

.....

बैठक में लिये गये निर्णय

.....

सदस्य सचिव

अध्यक्ष

वनसुरक्षा/ग्राम वन/इको विकास समिति .....

नोट :– आमसभा एवं कार्यकारिणी की बैठक के लिए पृथक–पृथक पंजियां संधारित की जावेंगी ।

प्रपत्र –9.1

प्रति,

परिक्षेत्र अधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक

.....

.....

विषय :..... समिति का वित्तीय वर्ष 2000–20..... का मूल्यांकन प्रमाण–पत्र ..... विगत एक वर्ष में .....ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले वनो के संरक्षण विकास एवं ग्रामीण विकास के कार्यो में समिति का योगदान निम्नानुसार है।

1. समिति के सदस्यों के द्वारा समिति के वनक्षेत्र में स्वयं के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया /किया गया, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा नहीं करने दिया/करने दिया एवं अतिक्रमण हटाने में समिति सफल/असफल रही।
2. वनसुरक्षा में समिति के सदस्यों के द्वारा सक्रिय योगदान दिया गया /नहीं दिया गया ।
3. अग्निसुरक्षा में समिति के सदस्यों के द्वारा सक्रिय सहयोग दिया गया /नहीं दिया गया।
4. समिति के द्वारा किये गये वानिकी एवं गैर वानिकी कार्यों में किसी प्रकारी की वित्तीय अनियमितता सिद्ध पाई गई /नहीं पाई गई।
5. समिति के द्वारा किये गये वानिकी/गैरवानिकी कार्यों की गुणवत्ता अच्छी है/अच्छी नहीं है।

अत: मैं ..... परिक्षेत्र अधिकारी/परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से समिति को वानिकी वर्ष 2000– 20––सफल/असफल घोषित करने के लिये प्रस्तावित करता हूँ।

परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी

* जहां पर उपरोक्त वर्णित दायित्व निभाने में समिति का नकारात्मक रवैया हो उसके बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

प्रपत्र –9.2

परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी /उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक के द्वारा समिति की सफलता/असफलता संबंधी अनुशंसा वनमंडलाधिकारी को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा ।

प्रति,

उपवनमंडलाधिकारी/सहायकसंचालक /वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)/उपसंचालक
टाईगर रिर्जव /संचालक राष्ट्र. उ.

विषय: ..... ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति का सफलता/असफलता से संबंधित अनुशंसा।

संदर्भ: परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी का ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति का प्रस्ताव दिनांक .....

विषयांकित संदर्भ में परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी का ..... ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति से संबंधित सफलता/असफलता प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में वर्णित बिन्दुओं का मैं स्वयं मौके पर निरीक्षण किया एवं उनकी सत्यता के बारे में जानकारी हासिल की गई। मेरे द्वारा किये निरीक्षण के आधार पर समिति को सफल/असफल घोषित किये जाने कि अनुशंसा करता हूं।

संलग्न :

सदस्य सचिव सह सचिव के द्वारा प्रेषित किये प्रस्ताव की प्रति ..... परिक्षेत्र अधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक

प्रतिलिपि :

परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकरी/ उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक की ओर सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

परिक्षेत्र अधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक

* जहां किसी समिति को असफल घोषित करना हों वहां पर उपवनमणलाधिकारी/सहायक संचालक की रिर्पोट अनिवार्य होगा ।

प्रपत्र 9.3

शासकीय संकल्प पैरा 11 (1) के तहत समिति को दिये जाने वाले अधिकारों के संबंध में समिति की सफलता/असफलता के बारे वनमंडलाधिकारी द्वारा दिये जाने वाला वार्षिक प्रमाण पत्र

वानिकी वर्ष 2000 – 20 ---

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी)/उपसंचालक/संचालक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति के संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है म0प्र0 के ..... जिले के अंतर्गत आने वाले ..... वनमंडल के परिक्षेत्र ..... की बीट ..... के अंतर्गत तहसील ..... के ..... ग्राम ..... की ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति जिस का पंजीयन क्रमांक ..... है, के द्वारा वानिकी वर्ष 2000–20..... के दौरान सफलतापूर्वक /असफलता पूर्वक शासकीय संकल्प के पैरा 11 (एक) के तहत दिये गये दायित्वों को निभाया एवं समिति को आवंटित वनक्षेत्र ..... की सुरक्षा एवं संवर्धन में पर्याप्त योगदान दिया/नहीं दिया। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी ..... के प0क्रं0 ..... से अनुशंसा की है । उपवनमण्डलाधिकरी/सहायक संचालक द्वारा भी पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से अपनी अनुसंशा की है ', इस आधार पर ..... ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति के संतोषजनक /असंतोषजनक कार्य करने का प्रमाण जारी किया जाता है।

दिनांक .....

स्थान .....

वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/वन्यप्राणी) उपसंचालक/संचालक रा.उ.

प्रतिलिपि :–

1. उप0व0म0अ0/स0सं0 की ओर,
2. परिक्षेत्र अधिकारी एवं
3. सदस्य सचिव ..... ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी) उपसंचालक/संचालक रा.उ.

* 1. असफल समितियों के लिए उप0व0म0अ0/स0सं0 की रिर्पोट अनिवार्य है ।

2. समिति के कार्यों को असंतोष पाये जाने की स्थिति में समिति को भंग करने की कार्यवाही संकल्प की पैरा 12.1 (4) के तहत कार्यवाही प्रथक से की जावेगी

प्रति,

प्रपत्र –9.5

परिक्षेत्र अधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/सहायक संचालक

.....

.....

विषय : ..... समिति का वित्तीय वर्ष 2000–20..... का मूल्यांकन प्रमाण–पत्र ..... विगत एक वर्ष में .....

ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाले वनो के संरक्षण विकास एवं ग्रामीण विकास के कार्यो में समिति का योगदान निम्नानुसार है ।

6. समिति के सदस्यों के द्वारा समिति के वनक्षेत्र में स्वयं के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया /किया गया, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा नहीं करने दिया/करने दियाएवं अतिक्रमण हटाने में समिति सफल/असफल रही।
7. वनसुरक्षा में समिति के सदस्यों के द्वारा सक्रिय योगदान दिया गया /नहीं दिया गया।
8. अग्निसुरक्षा में समिति के सदस्यों के द्वारा सक्रिय सहयोग दिया गया /नहीं दिया गया।
9. समिति के द्वारा किये गये वानिकी एवं गैर वानिकी कार्यों में किसी प्रकारी की वित्तीय अनियमितता सिद्ध पाई गई /नहीं पाई गई '। एवं
10. समिति के द्वारा किये गये वानिकी/गैरवानिकी कार्यों की गुणवत्ता अच्छी है/अच्छी नहीं है।

अतः मैं .....परिक्षेत्र अधिकारी/परिक्षेत्र सहायक की हैसियत से समिति को वानिकी वर्ष 2000 – 20..... सफल/असफल घोषित करने के लिये प्रस्तावित करता हूँ।

परिक्षेत्र सहायक/परिक्षेत्र अधिकारी

* जहां पर उपरोक्त वर्णित दायित्व निभाने में समिति का नकारात्मक रवैया हो उसके बारे में पूर्ण विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

लेखा प्रपत्र –12. 1
केश बुक (रोकड़ पुस्तिका)
विकास खाता/समिति खाता

समिति का नाम ..... लेखा माह ..... वर्ष .....

प्राप्ति						खर्चा				
माह के पूर्व में अवशेष – बैंक में जमा										
नगद										
योग										
क्रं0	दिनांक	प्रदायकर्ता संस्था विभाग का नाम	लेजर पृष्ठ कमांक	प्राप्त राशि का विवरण	राशि	प्रमाणक कमांक	दिनांक	कार्य का विवरण	लेजर पृष्ठ कमांक	लेजर राशि
1										
2										
3										
4										

माह के पूर्व में उपलब्ध राशि रूपये .....

माह के दौरान प्राप्त राशि रूपये .....

माह में कुल उपलब्ध राशि रूपये .....

माह में व्यय राशि रूपये .....

माह के अन्त में शेष रूपये .....

(बैंक में रूपये ..... नगद रूपये .....)

लेखा प्रपत्र –12. 2

लेजर
विकास खाता/समिति खाता

कार्य का नाम ..... समिति का नाम .....

कार्य प्रारम्भ का दिनांक ..... पृष्ठ क्रमांक .....

क्र	दिनांक	प्राप्त राशि			क्र.	दिनांक	व्यय राशि		
		राशि	केश बुक पृ0 कं.	प्रमाणक कं. मनी रसीद कं.			राशि	केश बुक पृष्ठ0 कं0	प्रमाणक कं0 मनी रसीद कं.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

कार्य पूर्ण होने पर –

1 कार्य हेतु कुल प्राप्त राशि

2 कार्य पर कुल व्यय राशि

3 अवशेष राशि

4 कार्य समाप्ति का दिनांक

लेखा प्रपत्र – 12.3

ऋण पुस्तिका लेजर

समिति का नाम ....

ऋण लेने वाले का नाम ....

ऋण की राशि ....

प्रमाणक कमांक ....

ऋण वापसी की अवधि ....

ब्याज की दर ....

ऋण वापसी का विवरण

क्रमांक	दिनांक	राशि	मनी रसीद कमांक	पृष्ठ कं0	शेष राशि

कुल ऋण राशि ....

अवधि का ब्याज रूपये ....

कुल रूपये (योग)..

ऋण वापसी रूपये ....

वसूली हेतु शेष राशि ....

लेखा प्रपत्र –12. 4

मनी रसीद बुक

बैंक खाता कमांक .....

समिति का नाम .....

परिक्षेत्र का नाम .....

वनमंडल का नाम .....

पृष्ठ कमांक .....

दिनांक .....

01 व्यक्ति/संस्था का नाम .....

02 पिता/पति का नाम .....

03 प्राप्त की गई राशि (अंको में) .....

04 प्रायोजन जिसके लिये राशि प्राप्त की गई .....

05 बैंक में राशि जमा करने का दिनांक ..... केश बुक का डी0आर0नं0 ..... दिनांक .....
(प्रतिपर्ण पर)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर .....

नाम .....

अध्यक्ष वन समिति .....

लेखा प्रपत्र –12. 5

प्रमाणक
विकास खाता / समिति खाता

वन समिति का नाम .....

वनमंडल .....

प्रमाणक कमांक .....

स्वीकृत कार्य का नाम/
मद का नाम .....

परिक्षेत्र का नाम .....

दिनांक .....

अ.क.	कार्य का विवरण एवं भुगतान किये गये व्यक्तियों के नाम	राशि

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

भुगतान कर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 12.6

ऋण हेतु-आवेदन/स्वीकृति का प्रारूप

01	आवेदक का नाम	::	.....
02	पिता का नाम	::	.....
03	जाति	::	.....
04	बी.पी.एल. सूची कमांक	::	.....
05	वांछित	::	.....
06	ऋण का उद्देश्य	::	बीज/खाद खरीदी, शादी, मृत्यु, व्यवसाय,
07	पूर्व में लिए गए ऋण का विवरण राशि	::	.....
08	अदा की गई राशि	::	.....
09	अध्यक्ष का अभिमत	::	.....
10	समिति की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज (पृ0सं0 दिनांक)	::	.....
11	स्वीकृत राशि	::	.....
12	भुगतान हेतु निधारित ब्याज दर	::	.....
13	अवधि	::	.....

आवेदक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष

सचिव

परिक्षेत्र अधिकारी

लेखा प्रपत्र – 12.7

हितग्राही करारनामा

ग्राम वन समिति/वनसुरक्षा समिति/इको विकास समिति ..... के द्वारा मुझे .... कार्य करने हेतु ..... राशि प्राप्त हुई है । मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है/नहीं किया है/शीघ्र प्रारम्भ करने वाला हूं । उक्त राशि में प्रतिमाह प्रति तीन माह/प्रति छः माह/प्रतिवर्ष ..... रू की किस्त में जमा करने का वायदा करता हूं । यदि मेरे द्वारा किस्त अनुसार राशि वापिस नहीं की गयी तो समिति को अधिकार है कि वह किस्त की राशि पर ब्याज भी वसूली कर सकती है । जिसे देने के लिए मैं बाध्य हूं । यदि मैं फिर भी उक्त राशि निश्चित समय सीमा में नहीं पटाता हूं तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है ।

हस्ताक्षर हितग्राही

हितग्राही को प्रदाय की गयी राशि से हितग्राही कार्य प्रारम्भ किया गया/नहीं किया गया/शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है तथा हितग्राही की किस्त मासिक/त्रैमासिक/छःमाह/वार्षिक रूपये ..... नियत की जाती है ।

जो कि वायदानुसार हितग्राही द्वारा समय सीमा में इको विकास समिति को वापिस देना होगी ।

सचिव

..... समिति

अध्यक्ष

..... समिति

लेखा प्रपत्र – 12.8

वसूली सूचना

समिति का नाम .....

परिक्षेत्र का नाम .....

वनमंडल का नाम .....

श्री ..... पिता .....

ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....

आपको सुचित (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अंतिमवार) किया जाता है कि आप पर ..... समिति की निम्नानुसार राशि वसूली हेतु शेष है –

शीर्ष	वर्ष	राशि
1.		
2		
3.		
	योग	.....
	शब्दो में	..... रूपये

आप इस सूचना प्राप्ति के ..... के अन्दर राशि का भुगतान समिति को करें अन्यथा समिति नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करेगी।

सूचना जारी दिनांक –

मोहर

अध्यक्ष/सचिव

..... समिति

लेखा प्रपत्र –12. 9

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

समिति का नाम .....

पंजीयन कमांक ..... माह .....

परिक्षेत्र का नाम ..... वर्ष .....

वनमंडल का नाम .....

क्रं0	प्राप्ति			व्यय		
	प्रदायकर्ता का नाम	कार्य का नाम	इस कार्य हेतु माह में प्राप्त कुल राशि	कं0	कार्य का नाम	माह में इस कार्य पर कुल व्यय

माह के प्रारम्भ में शेष .....

माह में प्राप्त .....

माह में व्यय .....

माह के अन्त में शेष .....

लेखा प्रपत्र – 12.10

समिति का वार्षिक आय व्यय पत्रक
समिति खाता

समिति का नाम .....

पंजीयन कमांक .....

परिक्षेत्र का नाम .....

वनमंडल का नाम .....

माह .....

वर्ष .....

क्र.	आय		व्यय		
	आय का स्रोत	राशि	कमांक	कार्य का नाम	राशि
	वर्ष में प्राप्त ब्याज				
	योग			योग	

वर्ष के प्रारंभ में शेष .....

वर्ष में प्राप्त आय .....

वर्ष में व्यय .....

वर्ष के अन्त में शेष .....

लेखा प्रपत्र –12. 11

समिति एवं वन विभाग के मध्य लिखित संविदा

(विदोहन कार्य हेतु)

आज दिनांक ..... को ग्राम वन समिति /वनसुरक्षा समिति/इको विकास समिति ..... के अध्यक्ष तथा वनविभाग के प्राधिकृत अधिकारी परिक्षेत्राधिकारी ..... (उत्पा. परिक्षेत्र) के मध्य यह संविदा हस्ताक्षरित किया गया कि –

ग्राम वन समिति/वनसुरक्षा समिति /इको विकास समिति ..... पंजीयन कमांक .... जिसे आगे समिति कहा गया है, द्वारा विदोहन वर्ष ..... में ..... उत्पादन वनमंडल के अंतर्गत ..... उत्पादन परिक्षेत्र के कूप ..... के कक्ष कमांक .... जिसका अनुमानित उत्पादन ..... घ.मी.काष्ठ ..... जलाऊ..... ..... /नोशनल टन व्यापारिक एवं ..... नोशनल टन औद्योगिक में है, में कार्य आयोजना में प्रतिपादित कटाई नियमों के अनुसार विदोहन का कार्य नीचे दर्शाये शर्तों के अनुसार करना चाहती है।

1 समस्त कार्य स्वीकृत विदोहन योजना तथा वनसंरक्षक द्वारा स्वीकृत दरों पर कराये जायेंगे ।

2 उक्त कूप में कटाई का कार्य दिनांक 15 अक्टूबर ..... से प्रारंभ कर दिनांक ..... तक पूर्ण कर लिया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त अवधि में कटाई कार्य पूर्ण न होने की दशा में पूरे कूप में कटाई कार्य .... तक अवश्य पूर्ण करा लिया जावेगा।

3 समस्त कार्य विभाग की देख रेख में कराये जावेंगे ।

4 समस्त कार्यों के प्रमाणक समिति द्वारा तैयार कर कूप प्रभारी के माध्यम से परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे, जिसके द्वारा कार्य का सत्यापन करते हुये प्रमाणक उपवनमंडलाधिकारी के माध्यम से वनमंडलाधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।

5 वनमंडलाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर धनादेश जारी किया जावेगा।

6 कूप में विदोहित काष्ठ/ बांस की आग एवं चोरी से सुरक्षा का दायित्व समिति का होगा।

7 समिति द्वारा किये कूप संबंधी कार्यों पर स्वीकृत प्राक्कलन एवं विदोहन योजना के अनुसार वास्तविक व्यय से 10 प्रतिशत अधिक राशि का भुगतान वनविभाग द्वारा समिति के खाते में प्रोत्साहन राशि के स्वरूप किया जावेगा।

8 वन विभाग द्वारा समिति को देय वास्तविक भुगतान में से खाद्यान उपलब्ध होने पर नियमानुसार श्रमिको को वितरण हेतु खाद्यान प्रदाय किया जावेगा। एवं इसके समानुपातिक कल्याण निधि की कटौती की जावेगी। समिति अध्यक्ष तथा परिक्षेत्र अधिकारी खाद्यान का वितरण प्रत्येक मजदूर को उससे काटी गई कल्याण निधि राशि के अनुपात में सुनिश्चित करेंगे ।

9 समिति द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा जो कार्य आयोजना भारतीय वन अधिनियम 1927 (वन्यप्राणि संरक्षण) 1972 अधिनियम, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 या अन्य किसी अधिनियम/निर्देश के विरूद्ध हो ।

10 समिति द्वारा विदोहित किसी कूप अथवा आवंटित वनक्षेत्र में किसी अनहोनी अथवा वन अपराध की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को तत्काल दी जावेगी।

11 प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर हानि के अन्य प्रकरणों की जिम्मेदारी समिति की होगी तथा हानि की राशि 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि से वसूली योग्य होगी।

12 वनमंडल कार्यालय से धनादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान समिति अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

13 यदि समिति उक्त कार्य को निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं करती है तो एक बार चेतावनी देकर कार्य विभागीय तौर पर कराया जावेगा।

14 कूप प्रभारी एवं समिति अध्यक्ष के मध्य उठे किसी भी विवाद में वनमंडलाधिकारी ..... (उत्पादन) का निर्णय अंतिम होकर दोनों पक्षों के लिय बाध्य होगा ।

15 वनविभाग द्वारा सिटीजन चार्टर में उल्लेखित समयावधि का पालन किया जावेगा।

समन्वय अधिकारी सचिव अध्यक्ष

स्वीकृत
वनमंडलाधिकारी .....

लेखा प्रपत्र –12. 12

समिति संस्था एवं वन विभाग के मध्य कार्य करवाने हेतु संविदा

आज दिनांक ..... को ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति/इको विकास समिति ..... के अध्यक्ष तथा वनविभाग के प्राधिकृत समन्वय अधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी ..... (परिक्षेत्र) के मध्य यह संविदा हस्ताक्षरित किया गया कि –

ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति ..... पंजीयन कमांक ..... जिसे आगे समिति कहा गया है .... कार्य का सम्पादन संलग्न प्राकलन एवं नीचे दर्शाये शर्तों के अनुसार करना चाहती है।

1 समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य की तकनिकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति वमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक द्वारा ज्ञापन क्र. ..... दिनांक .... द्वारा जारी की गई है।

2 समस्त कार्य स्वीकृत प्राकलन व दरों के अनुरूप कराए जावेंगे।

3 समस्त कार्य विभाग की देखरेख में किये जावेगें ।

4 समस्त कार्यो के प्रमाणक क्वाटर शीट पर बनाये जावेगे जिस पर कार्य निर्धारित गुणवत्ता एवं प्राकलन के अनुसार किये जाने का प्रतिवेदन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव संयुक्त हस्ताक्षर से देगें जिसे संबंधित परिक्षेत्र सहायक जांच कर अपने हस्ताक्षर एवं टीप अंकित कर परिक्षेत्राधिकरी ..... को प्रस्तुत करेगें ।

5 परिक्षेत्र अधिकारी कार्य निरीक्षण कर कार्य प्राकलन एवं निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप है, बाबत् प्रतिवेदन अंकित कर उक्त प्रमाणक उनवनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत करेगें । जहां से इसे वनमंडल कार्यालय प्रेषित किया जावेगा ।

6 वन मंडलाधिकारी/संचालक द्वारा उक्त प्रमाणक की राशि स्वीकृति के उपरांत समिति हेतु धनादेश जारी किया जावेगा ।

7 श्रमिकों को भुगतान की पूर्ण जबावदारी समिति की होगी ।

8 वनमंडल कार्यालय से धनादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान समिति अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा :

9 लेखा उपयोगिता प्रमाणपत्र, कार्य समाप्ति प्रमाण प.त्र निर्धारित प्रपत्र में समिति द्वारा वनमंडलाधिकारी/संचालक ..... को प्रस्तुत किया जावेगा ।

10 यदि समिति द्वारा उक्त कार्य को समय सारणी अनुसार सम्पादित नहीं कराया जाता है तो परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा एक बार चेतावनी दी जाकर कार्य विभागीय तौर पर सम्पन्न कराया जा सकेगा ।

11 उपरोक्त कार्य किसी भी स्थिति में ..... के पूर्व पूर्ण कराना होगा ।

12 किसी भी विवाद की स्थिति में वनमंडलाधिकारी/संचालक ..... का निर्णय सर्वमान्य होगा ।

13 वन विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर में उल्लेखित समयावधि का पालन किया जावेगा।

उपरोक्त संविदा आज दिनांक ..... को वन समिति के ओर से अध्यक्ष ..... एवं परिक्षेत्र अधिकारी ..... के मध्य निष्पादित किया गया ।

सचिव ..... अध्यक्ष ..... परिक्षेत्र अधिकारी .....

परिक्षेत्र सहायक ..... उपवनमंडलाधिकारी..... अनुमोदित .....

वनमंडलाधिकारी/संचालक

परिशिष्ट–1

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष व्दारा ली जानेवाली शपथ का प्रारुप

मैं ईश्वर की शपथ लेता / लेती हूँ.....(सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता / करती हूँ) कि मै भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के संबंध में जारी समस्त नियमों का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से पालन करुँगा / करुँगी । मैं मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त वन प्रबंध हेतु जारी संकल्प के प्रति अपने कर्तव्यों का श्रध्दा पूर्वक और शुध्द अन्तःकरण से निर्वहन करुँगा / करुँगी । मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करुँगा/करुँगी ।

मैं संयुक्त वन प्रबंधन के तहत गठित ..... समिति के समस्त निर्णय प्रजातांत्रिक तरीके से लिये जाये यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करुँगा / करुँगी ।

मैं समिति के निर्णयों में महिलाओं , भूमि हीनों , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी भी सुनिश्चित करुँगा / करुँगी ।

मैं संयुक्त वन प्रबंधन से प्राप्त समस्त लाभों का समानरुप से समिति के सभी सदस्यों को वितरण सुनिश्चित करुँगा / करुँगी ।

मैं समिति व्दारा कराये जा रहे कार्यो में श्रमदान तथा वनों की सुरक्षा में अमीर तथा गरीब सभी वर्गो के समान योगदान के लिये भरसक प्रयास करुँगा / करुँगी ।

मैं ऐसे ग्रामीण संसाधन विकास को प्राथमिकता दूँगा जिससे प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन, पशु, पक्षी इत्यादि पर दबाव कम हो तथा अगली पीढ़ी को और बेहतर अवस्था में सौंपा जा सके इसका भरसक प्रयास करुँगा / करुँगी ।

मैं ऐसे स्थानों पर विकास कार्य कराने का भरसक प्रयास करुँगा / करुँगी, जिससे इस का उपयोग समाज के सभी वर्गो व्दारा किया जा सके ।

मैं संयुक्त वन प्रबंधन के तहत किये जाने वाले समस्त कार्यो में वन विभाग को पूर्ण सहयोग दूँ / दूँगी ।

परिशिष्ट –2

संयुक्त वन प्रबन्धन समिति के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ

मैं ..... वन सुरक्षा/ ग्राम वन/ ईको विकास समिति .....

..... का सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन एवं वन्य प्राणियों के सम्बन्ध में जारी समस्त नियमों का सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा से पालन करुँगा/करुंगी ।

मैं समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के पालन में एवं निर्णय लेने में समिति का पूर्ण सहयोग करुगा/करुंगी ।

मैं वन विभाग के समस्त कार्यों में पूर्ण सहयोग दूँगा/दूँगी ।

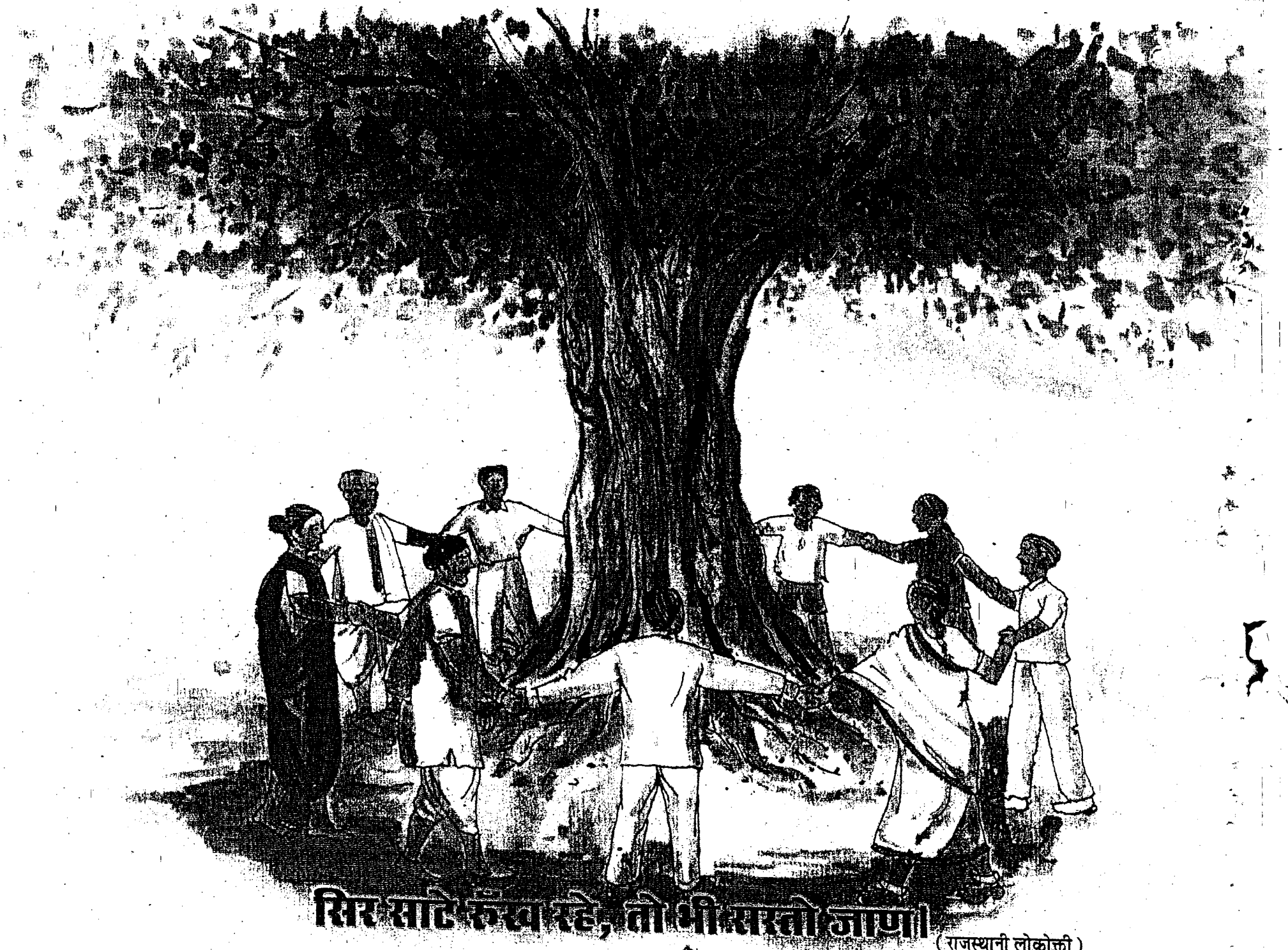

सिर साटे रूख रहे, तो भी सस्तो जाण।

(राजस्थानी लोकोक्ति)